SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकाहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

40वाँ अंक (संयुक्तांक) अक्टूबर 2022- सितम्बर 2023

उदयाचल

कार्यालय पत्रिका

कार्यालय : महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड, राँची

उदयाचल परिवार

श्री अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

श्री रौनक रंजन
उप–महालेखाकार

श्री अजय कुमार
वरिष्ठ उप–महालेखाकार

श्री जे. बी. गुप्ता
उप–महालेखाकार

श्री जी. रामास्वामी
उप–महालेखाकार

श्री उत्तम मेहरा
प्रधान संपादक

श्री आलोक कुमार
संपादक

श्री संजीव कुमार यादव
उप–संपादक

श्री बालमुकुन्द पाठक
उप–संपादक

उदयाचल

कार्यालय पत्रिका

40वाँ अंक (संयुक्तांक) अक्टूबर 2022- सितम्बर 2023

पत्रिका परिवार

श्री अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड, राँची

प्रकाशक परामर्शदातृ समिति

श्री रौनक रंजन
उप–महालेखाकार (प्रशासन)

श्री अजय कुमार
वरिष्ठ उप–महालेखाकार

श्री जे. बी. गुप्ता
उप–महालेखाकार

श्री जी. रामास्वामी
उप–महालेखाकार

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
श्री उत्तम मेहरा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

संपादक
श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

उप–संपादक
श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

उप–संपादक
श्री बालमुकुन्द पाठक
लेखापरीक्षक

उदयाचल

कार्यालय पत्रिका

40वाँ अंक (संयुक्तांक) अक्टूबर 2022- सितम्बर 2023

स्वत्वाधिकारी

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड, राँची

प्रकाशन

'उदयाचल' (कार्यालय पत्रिका), महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची

अंक

40वाँ

आवरण एवं मुद्रक पत्रिका सज्जा

रामेश्वरम प्रिंटर्स, राँची

आवरण चित्र

झारखण्ड के महान स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित

मूल्य

राजभाषा एवं कार्य के प्रति निष्ठा

वितरक

हिन्दी प्रकोष्ठ

इस पत्रिका में संकलित सभी रचनाओं में रचनाकारों के निजी विचार हैं जिनसे 'उदयाचल' परिवार का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

- संपादक मंडल

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृ. संख्या
1.	झारखण्ड के महान स्वतंत्रता सेनानी	श्रवण कुमार यादव	09-11
2.	टाँगीनाथ दर्शन	श्री विकास चन्द्र आजाद	12-13
3.	कौन अपना कौन पराया	श्री आलोक कुमार	14-17
4.	क्षमा	श्री कुन्दन कुमार	18-19
5.	एक व्यंग्य - बेचारा हाथ...	श्री शम्भू शरण भारती	20
6.	वर्तमान में ध्यान की प्रासंगिकता	श्री मनोज कुमार (नं-5)	21-22
7.	हिंदी भाषा और संबद्ध विडंबनाएँ	श्री बालमुकुन्द पाठक	23-24
8.	चंद्रयान - 3	श्री सुबोध कुमार	25-26
9.	खाना कौन बनाएगा	श्रीमती मधु कुमारी पाण्डेय	27-28
10.	आसान वास्तु	श्री शम्भू शरण भारती	29
11.	ए. आई.	सुश्री नेहा कुमारी	30-31
12.	स्टेटस का स्टेटस	श्रीमती सुनैना कुमारी	32
13.	उन्माद	श्रीमती पूनम बरनवाल	33
14.	प्रतिक्रियाओं का मानसिक प्रभाव	श्रीमती राखी कुमारी	34-35
15.	चार पत्नियाँ	श्रीमती आरती पाठक	36-37
16.	बुद्धिमत्ता	सुश्री निष्ठा पाठक	37
17.	भारत में मृत्युदंड - एक परिचय	सुश्री श्रुति झा	38-39
18.	फालतू आदमी	श्री इन्द्र कुमार झा	40
19.	आत्मानुभूति	श्री आलोक कुमार	41
20.	भोजन की बर्बादी	श्रीमती नीलम देवी	42-44
21.	माँ और मातृभाषा	श्रीमती मधु कुमारी पाण्डेय	45
22.	वैज्ञानिक और विज्ञान	शाहिल कुमार यादव	46-47
23.	सोच	श्रीमती आरती पाठक	48
24.	जनजातियों के समग्र विकास की संकल्पना	श्री संजीव कुमार यादव	49-51
	काव्य सरिता		
1.	लोग कहते हैं बदलने सा लगा हूँ	श्री देवराज लाल खन्ना	52
2.	समझो वो माँ है	श्री देवराज लाल खन्ना	52
3.	कहाँ आ गये हम	शाहिल कुमार यादव	53
4.	पिता और संतान की चिंता	श्री देवराज लाल खन्ना	54
5.	हम भूलते अपने गाँवों को	श्री देवराज लाल खन्ना	54
6.	ताउम्र बच्चे	श्री आलोक कुमार	55
7.	अनोखा बालक	श्री आलोक कुमार	55
8.	ढ़लता जीवन	श्रीमती सुनैना कुमारी	56
9.	अभिव्यक्ति	श्रीमती मधु कुमारी पाण्डेय	56

संदेश

(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)
महालेखाकार

राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के प्रति समर्पित अपने कार्यालय की गृह पत्रिका 'उदयाचल' के 40वें अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। गृह पत्रिकाएँ कार्यालय का प्रतिबिम्ब होती हैं। यह पत्रिका कार्यालय में हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ–साथ कार्मिकों की रचनात्मकता को पाठकों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 'उदयाचल' का यह अंक भी पाठक वर्ग के बीच हिंदीमय वातावरण बनाने में प्रेरणादायी होगा। उदयाचल के अंक को पूर्णता देने में कार्यालय के सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल विशेष बधाई के पात्र हैं।

मैं 'उदयाचल' पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ।

(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)
महालेखाकार

संदेश

रौनक रंजन
उप–महालेखाकार
(प्रशासन)

राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में कार्यालयीन गृह पत्रिका का महत्त्वपूर्ण योगदान है, इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाता है। आपकी अपनी हिंदी पत्रिका ''उदयाचल'' का 40वाँ अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदी जन–जन की भाषा है और यह सम्पूर्ण देश में एकता का भाव लाती है। हम सभी को हिंदी में कार्य करने हेतु बाध्यता का भाव नहीं होना चाहिए। हिंदी तो एकमात्र ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं को भी अपने में ठीक उसी प्रकार समाहित कर लेती है जैसे कि एक बड़ा समुद्र बड़ी–छोटी नदियों को अपने में मिला लेता है। हिंदी का शब्दकोश भी बहुत बड़ा है। हिंदी के प्रयोग में झिझक न हो इसके लिए हमेशा हिंदी में ही टिप्पणी और प्रारूप लेखन का अभ्यास करें।

''उदयाचल'' पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पत्रिका में छपे लेख समस्त पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, मनोरंजक एवं उत्साहवर्द्धक सिद्ध होंगे और पत्रिका आप सभी की कसौटी पर खरी उतरेगी।

उदयाचल के 40वें अंक हेतु शुभकामनाएँ !

रौनक रंजन

(रौनक रंजन)
उप–महालेखाकार
(प्रशासन)

संदेश

उत्तम मेहरा
प्रधान संपादक

हिंदी पत्रिका उदयाचल का 40वाँ अंक आप सभी को समर्पित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त माध्यम भाषा एवं संस्कृति है। राजभाषा हिंदी इसमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार तथा इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा समेकित प्रयास राजभाषा के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम सभी का यह दायित्व है कि कार्यालयीन स्तर पर राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमेशा तत्पर रहें और राजभाषा के मानकों पर खरा उतरें।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु हम सभी मिलकर समर्पण भाव से कार्य करें, ताकि हमें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो।

उदयाचल के इस अंक के सभी रचनाकारों एवं पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद!

उत्तम मेहरा

उत्तम मेहरा
प्रधान संपादक

संपादक की कलम से...

आलोक कुमार

प्रबुद्ध पाठकों,

जोहार !

हम सबों की अपनी पत्रिका उदयाचल का 40वाँ अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पिछले अंक से पत्रिका का प्रकाशन रंगीन साज–सज्जा के साथ किया जा रहा है जिसका आप सभी ने स्वागत किया है। पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक रही हैं, जिसके लिए संपादक मंडल और सभी रचनाकार आपके अत्यंत ही आभारी हैं। आपके सुझाव एवं विचार हमारे लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं, जिसके माध्यम से हम पत्रिका की गुणवत्ता का उत्तरोत्तर संवर्धन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे ईमेल आईडी alokk.jhr.au@cag.gov.in पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

पिछले अंक में मैंने योग व अध्यात्म की महत्ता को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का एक तुच्छ प्रयास किया था, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का ध्यान आधुनिक जीवन–शैली की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सरकारी दफ्तरों में कार्यरत नौकरी–पेशा वर्ग धीरे–धीरे शारीरिक श्रम से विमुख होता चला गया है। थोड़ा श्रम अत्यंत ही आवश्यक है, परंतु हमने श्रम को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। जबकि शरीर की पूरी स्फूर्ति और प्राणों की पूरी सजगता के लिए कुछ श्रम अत्यंत ही आवश्यक है। जितना हम स्वयं श्रम में प्रवृत्त होंगे, हमारी चेतन धारा उतनी ही केंद्रित होने लगेगी और हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। भोजन की ही भांति श्रम की भी एक निश्चित मात्रा हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात को समझते हुए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में श्रम आधारित कार्यों का समावेश करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। हम प्रतिदिन योग करके बड़े ही व्यवस्थित और सरल तरीके से इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय समय में अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को स्वयं करके इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक छोटे से अंतराल में थोड़ी चहल–कदमी कर लें, पानी की जरूरत होने पर एम.टी.एस. पर निर्भर रहने के बजाय खुद पानी भर लें, जहाँ तक संभव हो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट के प्रयोग से बचें। फाइलों को खुद ही वरिष्ठ जनों के पास पहुँचा कर हम दिन भर एक्टिव बने रह सकते हैं। छोटे–छोटे प्रयास हमारे लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध होते हैं।

दूसरी बात, जो हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत ही जरूरी है, वह है कृतज्ञता का भाव। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों की चर्चा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, तो उसे हम ताउम्र याद रखते हैं। यह प्रवृत्ति औरों के लिए नहीं, अपितु खुद अपने लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा सोचते हैं और करते हैं, तो इसका सबसे पहला दुष्परिणाम हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। यह हमारी ऊर्जा और शक्तियों का क्षरण करता है। इसके विपरीत जब हम सहयोगियों, समाज और देश के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो एक अत्यंत ही सकारात्मक ऊर्जा

संपादक की कलम से...

का निर्माण होता है। हम प्रयास करें कि हर वह व्यक्ति जो हमारे संपर्क में है, उनके प्रति कृतार्थ का भाव हो, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचें और यदि कोई ऐसी कमी हो, जिससे कार्यों की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती हो, तो आलोचनात्मक रूप से बताने के बजाय मीठे शब्दों में दृढ़तापूर्वक सकारात्मक रूप से अपनी बात कही जाए। मुझे इस संबंध में महात्मा गांधी की यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ याद आती हैं कि **पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।** कुछ लोगों को यह बातें अति आदर्शवादी और अव्यावहारिक लगती होंगी, परंतु यकीन मानें इसका पालन करना बहुत ही सहज है। जरूरत है तो बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्पित प्रयास की।

आजादी के इस अमृत काल में जब पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, हम इस पत्रिका के माध्यम से झारखण्ड के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का शत्–शत् नमन करते हैं जिन्होंने अपने अमर त्याग एवं बलिदान से इस धरती को सिंचित किया। पत्रिका का आवरण पृष्ठ राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा, कोल आंदोलन के नायक बुधु भगत, संथाल आंदोलन के प्रणेता सिद्धू और कान्हू बंधु, वीर तिलक मांझी, शेख भिखारी जैसे सपूतों को समर्पित है, जिनकी वीरता की गाथा हर घर में गायी जाती है।

अब आपका ज्यादा बहुमूल्य समय न लेते हुए मैं अपनी लेखनी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस अंक में प्रकाशित रचनाएँ आपका मनोरंजन करने के साथ–साथ विचारों का मार्गदर्शन करने का भी अभीष्ट कार्य संपन्न करेंगी।

आप सबों का मंगल हो इन्ही कामनाओं के साथ !

आपका स्व

आलोक कुमार

संपादक

झारखण्ड के महान स्वतंत्रता सेनानी

श्रवण कुमार यादव
पुत्र श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

झारखण्ड की धरती ने अनेक महापुरूषों व क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। कहा जाता है कि जब– जब किसी देश या राज्य में बाहय आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण या अतिक्रमण किया जाता है तो उसी काल खण्ड में ऐसे महापुरूषों का जन्म होता है जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। उनके जन्म का उद्देश्य परिवार की सेवा तक ही सीमित नहीं होता है तथापि वे इससे ऊपर उठकर अपने समाज, राज्य या देश के लिए समर्पण भाव रखते हैं। ऐसे वीर पुरूष ही अपने कालखण्ड में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इन महापुरूषों का अनुकरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए तथा जब भी आवश्यकता हो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस लेख के माध्यम से मैं झारखण्ड के कुछ प्रमुख महापुरूषों व क्रांतिकारियों की संक्षिप्त जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ।

1. **बिरसा मुण्डा** – व्यक्ति अपने कर्मो के द्वारा ही सम्मानित होता है। अपने सुकर्मो के बल पर वह "भगवान" की तरह ही पूजे भी जाने लगता है। बिरसा मुण्डा भी अपने सुकर्मो के द्वारा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। भगवान बिरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को उलिहातू गाँव, जिला–खूँटी में मुण्डा परिवार में हुआ था। झारखण्ड राज्य का स्थापना दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम दाउद मुण्डा था। बिरसा मुण्डा के पिता का नाम सुगना मुण्डा तथा माता का नाम कदमी मुण्डा था। उनके प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद वे मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गये। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। इन्होंने जनजातीय भूमि पर अधिकार के साथ–साथ जनजातीय समुदाय के अधिकारों की मान्यता के लिए

आहवान किया। बिरसा मुंडा और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों और अन्य बाहरी लोगों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके विद्रोह के तले अनेक आदिवासी नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ जो भारत में आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित थे। बिरसा मुंडा के आदिवासी लोगों के संघर्षों के लिए आज उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। भारत के लिए आजादी के लड़ाई हो या अपने जनजातीय भाइयों के लिए अंग्रजों के खिलाफ कर माफी की लड़ाई सभी में बिरसा मुण्डा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 1895 में बिरसा मुण्डा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। बिरसा मुण्डा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। वे झारखण्ड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। इन्होनें 1895–1900 ई. के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बिरसा आंदोलन का प्रमुख केन्द्र– बिन्दु डोम्बारी पहाड़ था जो वर्तमान में खूँटी जिले में मुरहू प्रखण्ड में स्थित है। डोम्बारी पहाड़ को झारखण्ड का जालियावाला बाग भी कहा जाता है। 9 जून 1900 ई. को राँची जेल में हैजा नामक बिमारी से बिरसा मुण्डा जी की मृत्यु हो गयी। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुण्डा के जीवन का आधार बनाकर 1977 ई. में अरण्ये अधिकार (जंगल का अधिकार) नामक पुस्तक की रचना की। बिरसा मुण्डा ने अंग्रेजों के साथ पूर्ण साहस के साथ संघर्ष किया। बिरसा ने अंग्रेजों के साथ अदम्य साहस एवं पूर्ण साहस के साथ संघर्ष किया है। भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है साथ ही बिरसा मुण्डा जीवन में कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया तथा उनका विरोध किया और उनका खंडन किया। बिरसा का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण था। उनके त्याग के

सम्मान में भारतीय संसद के केंद्रीय सभा–भवन में उनका चित्र लगाया गया है। बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आदि कुछ संस्थान उनके नाम पर हैं। बिरसा की बहादुरी और देशभक्ति कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। आज भी वे प्रत्येक भारतवासी के दिल में रहते हैं।

2. **सिद्धू–कान्हू :** महान क्रांतिकारी सिद्धू–कान्हू का जन्म क्रमशः 1815 एवं 1820 ई. में हुआ। अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरूद्ध 1855–56 में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व चार मुर्मू नेताओं सिद्धू, कान्हू, चाँद तथा भैरव ने किया। 1855 ई. में मुर्मू बंधुओं ने भोगनाडीह (मुर्मू बंधुओं का गाँव) में विद्रोह (हूल) का निर्णय लिया तथा सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरूद्ध चाँद तथा भैरव को गोली लगने से मौत हुई और सिद्धू तथा कान्हू को गिरफ्तारी कर फाँसी दी गई। इन क्रांतिकारियों का हमारे जीवन में विशेष योगदान है।

3. **भागीरथ माँझी :** भागीरथी माँझी का जन्म तल्डीहा (वर्तमान गोड्डा जिला) में कोरवार जनजाति में हुआ था। इन्हें बाबाजी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ माँझी ने 1874 ई. में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। भागीरथ माँझी ने स्वयं को राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1879 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी ।

4. **तिलका माँझी :** तिलका माँझी का जन्म तिलकपुर नामक गाँव (सुल्तानगंज, भागलपुर) में 1750 को संथाल परिवार में हुआ था। वे संथाल (मुर्मू) जनजाति के थे। तिलका माँझी अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। अतः उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका माँझी ने वनचरीजोर (भागलपुर) से अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। साल पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। तिलक माँझी ने अपने भागलपुर के आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। 1785 ई. में तिलका माँझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फाँसी दे दी गयी। झारखण्ड के स्वतंत्रा सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका माँझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया।

5. **गंगा नारायण सिंह :** गंगा नारायण सिंह, भूमिज विद्रोह के महानायक कहे जाते हैं। उन्होंने 1832–33 में भूमिज किसानों और जमींदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। गंगा नारायण सिंह का जन्म बाड़भूम (वीरभूम) राज परिवार में हुआ था। इन्होनें 1832–33 ई. में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा। 7 फरवरी, 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई।

6. **रघुनाथ महतो :** रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह गाँव (सरायकेला खरसाँवा) में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व प्रदान किया था। 1769 ई. में उन्होनें अपना गाँव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज का नारा दिया। रघुनाथ महतो ने

अंग्रेजों के विरूद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। 1778 ई. में लोटागाँव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गयी जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी।

7. **बुद्धु भगत :** बुद्धु भगत का जन्म 17 फरवरी, 1792 ई. को सिल्ली गाँव (राँची) में एक उराँव परिवार में हुआ था। इन्होनें 1828–32 तक हुए लरका महाविद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बुद्धु भगत 1831–32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बुद्धु भगत छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रूपये ईनाम की घोषणा की थी। बुद्धु भगत की मृत्यु 13 फरवरी, 1832 ई. को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई जिसमें उनके साथ बेटे व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गयी।

8. **जतरा भगत :** जतरा भगत का जन्म 1888 को चिंगरी नावाटोली गाँव (विशुनपुर, गुमला) में एक उराँव परिवार के घर हुआ। इन्होनें ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो गाँधीजी के आंदोलन से प्रभावित था। जतरा भगत की मृत्यु 1916 ई. में हुई। देश की आजादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था।

9. **पोटो सरदार :** पोटो सरदार का संबंध मुंडा जनजाति से था। पोटो सरदार झारखण्ड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होनें अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोहों में प्रमुखता से भाग लिया था। इन्होनें सिंहभूम में लोगो को एकजुट कर कई अंग्रेज सैनिक की हत्या की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पोटो सरदार सहित कुछ अन्य आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फाँसी की सजा सुनाई गई।

10. **रानी सर्वेश्वरी :** रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने 1781–82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। 6 मई, 1807 को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गयी।

राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।
– महादेवी वर्मा

टाँगीनाथ दर्शन - एक शिवानुग्रह

हमारे जीवन में जन्म से ही शिवानुग्रह और आज के झारखण्ड क्षेत्र का अहम हस्तक्षेप रहा है। वैद्यनाथ धाम के शिवकुंड में पिताजी एवं उनके चार मित्रों द्वारा भगवान शिव से मेरे जन्म के लिए अनुरोध किया गया और मेरे माता–पिता के विवाह के 14 वर्ष पश्चात मेरा जन्म हुआ।

5–6 वर्ष की उम्र से ही दादाजी के साथ साधु–संतों का सान्निध्य मिलता रहा। वे गाँव के ठाकुरवाड़ी में रूकते थे जहाँ हरिजनों को जाने की मनाही थी। मेरी जिज्ञासा के उत्तर में कहा जाता कि उनके आने से भगवान जी अपवित्र हो जाएँगे। जब मैं पूछता कि वे कहाँ पूजा करेंगे, तो दादाजी कहते शिवालय में। और मैं 5–6 वर्ष की उम्र में ही साधुओं से चर्चा करता कि जो आदमी के छूने से अपवित्र हो जाते हैं, वे भगवान कैसे हुए, भगवान तो केवल शिवजी है जिनके पास सभी जाते हैं। 7–9 वर्ष तक हमारा शान्निध्य गया के पिता महेश्वर शिव मंदिर और शीतला माँ के मंदिर के गोद में हुआ। वर्ष 2000 तक मैं पूर्णतः सांसारिकता में लिप्त रहा, इस दरम्यान पढ़ाई, नौकरी प्राप्ति एवं तीन पुत्री एवं एक पुत्र की प्राप्ति हुई एवं वर्ष 2000 के अंत में पुनः परमात्मा शिव ने वरिष्ठ गुरूभाई श्री हरिद्रानन्द जी के माध्यम से अपनी शिष्यता के भाव का अनुकरण किया।

श्री विकास चन्द्र आजाद
सेवानिवृत्त – वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

परमात्मा शिव का यह अनुग्रह हमारे आध्यात्मिक उन्नयन का राजमार्ग साबित हुआ। कार्यालय के द्वारा लेखापरीक्षा के कार्य हेतु झारखण्ड एवं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का सुयोग हमें अनायास मिल रहा था और मिल रहा था, शिव गुरू के आदेशित कर्म शिव के गुरू स्वरूप की चर्चा (शिव चर्चा) करने का पावन योग। जिसने मन को शिव की ओर उन्मुख करने एवं शिव प्रेम में ठहरने का अनुपम सौभाग्य दिया। शिव प्रेम में ठहरा हुआ मन बराबर शिव के बारे में, शिव के क्षेत्रों के बारे में जानने को सदैव उत्सुक रहता था। परिणामस्वरूप शिव आकर्षण में कभी मधुबनी बिहार के उगना महादेव, लखीसराय के अशोकधाम, उड़ीसा के मुर्गा महादेव, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर तो

''मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सफलता का आनंद लेने के लिए आवश्यक हैं।''
– ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

कभी गुमला के डुमरी के पास टाँगीनाथ का दर्शन करता खुद को पाया।

शिवगुरू की चर्चा हेतु झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में गया मुझे यह सदैव लगा कि भारतीय इतिहास जो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही ज्ञात है वह अपूर्ण है और इसके पूर्व के इतिहास की खोज करनी चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरी एवं उन्नत सभ्यता थी। मन यह कहता कि सभ्यता की शुरूआती स्थिति नदी घाटी की जगह जंगल एवं पहाड़ों में ही होगी। वेद पुराणों में असुरों को मायावी कहते हैं, यानी वे देवों से उन्नत विज्ञान के ज्ञान रखते थे। उदाहरणस्वरूप हम मय दानव द्वारा बनाये गये युद्धिष्ठिर का महल देखें या शुक्राचार्य द्वारा संजीवनी विद्या का ज्ञान। इन असुरों का इतिहास न तो ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है और न धार्मिक ग्रंथों में। जिन असुरों ने निरंतर स्वर्ग पर अधिकार अनेक बार कर लिया। जिनके शमन हेतु परमात्मा को अनेकों अवतार लेने पड़े, परमात्मा की समस्त शक्तियों को एक होना पड़ा, वे वास्तव में कहाँ थे? उनका साम्राज्य कैसा था? उनके विज्ञान कैसे थे? इसकी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं।

शिव के गुरू स्वरूप की चर्चा के दरम्यान हमें गुमला जिले में डुमरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के गुरूभाइयों ने हमें टाँगीनाथ बाबा के बारे में बताया। वहाँ जाने के पश्चात हमने देखा कि यह स्थान तो शिवलोक है। हर तरफ प्राचीन शिव लिंगों का दर्शन हो रहा था। यहाँ हिन्दू और आदिवासी दोनों काफी श्रद्धा से दर्शनार्थ आते थे। हमलोगों ने पाया कि झारखण्ड के लोहरदगा, घाघरा, विशुनपुर, महुआडांड़, राँची, रामगढ़, खुँटी, जमशेदपुर आदि जगहों एवं उड़ीसा के सम्बलपुर, बीरमित्रपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर आदि क्षेत्रों से भी लोग यहाँ आते थे।

लोगों ने कई प्रकार की किंवदंतियाँ यहाँ के बारे में बताई। इन लोगों ने बताया कि स्थानीय लोकगीतों में भी टाँगीनाथ बाबा का वर्णन मिलता है। ये लोकगीत डमकच नृत्य के अवसर पर गाये जाते हैं। यह डमकच विशेष रूप से स्त्रियों का नृत्य गीत है। डमकच की उत्पति डमरू से हुई है। डम डमरू का संक्षिप्त रूप है। कच का अर्थ होता केश। अर्थात डमरू का आकार का केश विन्यास कर नृत्य गीत संपन्न करना। डमरू अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। टाँगीनाथ के पुजारी, जो बैगा कहलाते हैं, स्थानीय आदिवासी हैं। उन्हें देखकर एक बात तो निश्चित हो जाती है कि यह मंदिर और शिव का क्षेत्र ब्राह्मण या आर्य लोगों के आने के पूर्व से है और पूजा की प्राचीनता निरंतरता में है।

टाँगीनाथ पहाड़ी के पास ही आंजन धाम है, जिसे हनुमान की जन्मस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त है। हनुमान जी की माता अंजनी भी बहुत बड़ी शिवभक्त थीं। इन्होंने हनुमान जी को शिव अनुग्रह से ही पाया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी उन्हें शंकर सुमन से उद्‌बोधित किया है। गुमला के पास ही पालकोट है, जिसे रामायण का पम्पापुर कहा जाता है, जो कि सुग्रीव एवं बाली का क्षेत्र है। ये तथ्य भी इस आंजनधाम को हनुमान की जन्मस्थली मानने को विवश करता है। इसी आंजनधाम पहाड़ी की तलहटी में एक ग्राम है माड़वा। मुझे शिवानुग्रह से वहाँ शिवगुरू की चर्चा करने हेतु जाने का मौका मिला। वहाँ जाने पर पता चला कि यह माड़वा नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव की मड़ई थी। यानी भगवान शिव यहाँ रहते थे। आज भी यहाँ के लोग हर वर्ष मिट्‌टी के शिव, पार्वती एवं गंगा की मूर्तियाँ खुद बनाते हैं और उसे वर्ष भर घर में रखकर उसकी पूजा अपने पूर्वजों की तरह करते हैं। गंगा को वे पार्वती की सौतन के रूप में याद करते हैं एवं गीत गाते हैं।

टाँगीनाथ में एक टूटा हुआ परश भी है, जिसे परशुराम जी का परशु कहा जाता है। इस लोहे के परशु जो हजारों वर्षों से बाहर पड़ा है पर जंग नहीं लगा है। यह भी इसे कम से कम असुर कालीन तो जरूर माना जा सकता है। क्योंकि असुर दुनिया के लोहा गलाने का कार्य करनेवाली दुर्लभ धातु विज्ञान आदिवासी समुदायों में से एक है।

इस प्रकार यह टाँगीनाथ क्षेत्र जो कि पूर्णतः शिवलोक है एक मायावी दुनिया सी लगी जिसके बारे में निश्चयपूर्वक कोई कुछ नहीं कह सकता, हमें अपने इतिहास के पुनः आकलन एवं शोध करने हेतु प्रेरित करता है।

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।
– सुभाष चंद्र बोस

कौन अपना कौन पराया...

''वाह! यह शहर तो बहुत ही सुंदर है'' नवीन ने अपने चचेरे भाई संजीव से यह बात हुलसकर कही। इस शहर में आए हुए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे। यह पहला मौका था जब वह हमउम्र संजीव के साथ बाजार की तरफ निकला था। संजीव के पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और इसी कारण हर चार–पाँच सालों में उनका तबादला अलग–अलग शहरों में होता रहता था। संजीव के बड़े चाचा यानी नवीन के पिताजी अपने परिवार के साथ गाँव के पुश्तैनी घर में रहते थे। छोटी सी परचुन की दुकान थी, जिससे किसी तरह से परिवार के सात सदस्यों का जीवन निर्वाह हो जाता था। परिवार में नवीन के माँ–बाप के अलावा बड़े भाई– भाभी और उनके दो बच्चे भी थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी न थी कि नवीन का पालन–पोषण अच्छी तरह से किया जा सके। यह तो भला हो चाचाजी का जो अपनी सरकारी नौकरी से प्राप्त आमदनी का कुछ हिस्सा अपने बड़े भाई साहब को गाँव में देते रहते, जिससे कि उनका परिवार भी ठीक–ठाक से चल सके। भाई के इस उदार हृदय की चर्चा, बिरादरी और गाँव में भी होती। आज के इस दौर में जब भाई–भाई में कलह होती, धन–दौलत के कारण सर फुटौवल होते, तो इस प्रकार के संबंधों की मिसालें दी जातीं। उड़ते–उड़ते जब तारीफों के दो–चार शब्द संजीव के कानों तक पहुँचते तो, उसका सीना गर्व से फूल जाता और उसे अपने पिता पर गर्व होता।

नवीन की किशोरावस्था अपने आखिरी पायदान पर थी और युवावस्था में कदम रखने वाला था। गाँव के एकमात्र सरकारी मिडिल स्कूल से उसने दसवीं का इंतिहान भी दे रखा था। जिसका परिणाम अभी आना बाकी था। इसके आगे पढ़ने की उसकी कोई खास इच्छा आकांक्षा नहीं थी। वह तो बस अब कुछ काम–धंधा कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, ताकि कुछ पैसे कमा सके। अपना और अपने घरवालों के लिए कुछ कर सके। गाँव की दुकान ऐसी न थी, जिसमें तीन वयस्क अपनी रोजी –रोटी कमा सकें। उसके बड़े भाई साहब और पिता पहले ही अर्द्ध–बेरोजगारी का अनुभव कर रहे थे और वह खुद इसमें सम्मिलित होकर बोझ बढ़ाना नहीं चाहता था। चाचाजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने नवीन को कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। इसके पीछे सोच यह थी कि गाँव का लड़का थोड़े दिन शहर में रहेगा, तो उसकी आँखें खुलेंगी, व्यक्तित्व का विकास होगा और आत्मनिर्भर बनने में आसानी होगी। उनका अपना पुत्र संजीव भी लगभग इसी उम्र का था और वह भी पढ़ाई–लिखाई में कुछ ज्यादा रुचि नहीं ले रहा था। आगे पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुझान न होने के कारण कोई व्यवसाय करना ज्यादा उपयुक्त प्रतीत हो रहा था। यदि सब कुछ ठीक–ठाक रहा तो दोनों भाइयों के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करने की संभावना बन रही थी।

श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

नवीन के लिए शहर में रहना एक नया अनुभव था। गांव के वातावरण से अलग शहर की चकाचौंध में उसे अच्छा लग रहा था। गाँव की दुश्वारियों से अलग शहर की जिंदगी आरामदायक थी। साथ में हमउम्र चचेरे भाई संजीव का साथ, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों भाई अक्सर ही कुछ सामान लाने के बहाने बाजार घूम लिया करते। शहर की बड़ी–बड़ी दुकानें नयनाभिराम वस्तुएँ और सौंदर्य की अन्य वस्तुएँ युवावस्था की दहलीज पर कदम रख रहे किशोरों के मन को भटकाती थीं। शहर में अपनी रोजी–रोटी चलाना दोनों युवाओं की दिली ख्वाहिश बन गई।

कुछ महीने यूँ ही गुजरने के बाद नवीन के चाचा जी ने भतीजे के मन को परखने के लिए उसके भावी योजनाओं के बारे में पूछ–ताछ की। आगे की पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। उसने साफ–साफ बताया कि अब उसे व्यवसाय ही करनी है। इधर संजीव की तरफ से भी कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की गई। इशारा साफ था, अब दोनों भाइयों ने अध्ययन जैसे नीरस कार्य को पूर्ण विराम लगाते हुए जिंदगी के जुए को कंधों पर रखकर मैदान–ए–जंग में कूदने की तैयारी कर ली थी। परिवार विचार– विमर्श के उपरांत, व्यवसाय के प्रकार एवं आकार की नींव रखने की तैयारी में जुड़ चुका था।

काफी सोच विचार किया गया, व्यवसायी नाते–रिश्तेदारों की मदद ली गई, बाजार का अध्ययन किया गया। शहर के अलग–अलग भागों में अवस्थित दुकानों के प्रकार एवं प्रकृति का अध्ययन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि भावी व्यवसायी श्रीमान नवीन एवं संजीव जी के लिए सेनेटरी वेयर से संबंधित दुकान तत्कालीन बाजार की स्थानीय मांग के हिसाब से उपयुक्त रहेगी। शुभ मुहूर्त देखकर दुकान का शुभारंभ हो गया। पूंजी का इंतजाम चाचाजी ने किया, दुकान चलाने एवं जमाने की जिम्मेवारी दोनों भाइयों की सम्मिलित रूप से तय की गई। आखिरकार दुकान तो दोनों के भविष्य

के लिए शुरू की गई थी। व्यवसाय का अनुभव न होने के कारण दुकान चलाने में कठिनाइयाँ आने लगीं, नौकरी–पेशा पिता की संतान होने के कारण संजीव में व्यवसायी गुणों का अभाव था। प्रायः व्यवसायी जिस वाकपटुता एवं चातुर्य से अपनी वस्तुओं का बखान करते वैसी वाकपटुता संजीव में नहीं थी, इसके अलावा व्यवसाय को जमाने के लिए जितनी मेहनत एवं लगन की आवश्यकता पड़ती वह भी मौजूद नहीं था। ग्राहक मोल–भाव करते तो मनाने के बजाय स्पष्ट रूप से मना कर देता। जिससे आगे की संभावना ही बंद हो जाती। व्यवसाय एक ऐसी विधा है जिसमें दुकानदार की मीठी जुबान और कभी ना हार मानने वाला धैर्य ही ग्राहकों को खरीदारी के अंतिम पड़ाव तक पहुँचा सकता है। यदि इनका अभाव हो, तो दुकान के बंद होने में देर नहीं लगती। पर यहाँ तो संजीव के पास न तो मीठी जुबान थी, और न ही असीमित धैर्य। व्यवसाय में सफलता मिलना आसान न था।

संजीव के उलटा नवीन का व्यक्तित्व खुशमिजाज, मिलनसार एवं उत्साही प्रवृत्ति का था। गाँव में हर छोटे–बड़े के साथ मिलना जुलना, बातचीत, आम दिनचर्या का हिस्सा होता है। गाँव की जिंदगी ऐसी होती है, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा होता है। संस्थागत सुविधाओं का अभाव होने के कारण व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन संबंधों के कारण ही व्यक्ति का निर्वाह हो सकता है। इसके विपरीत शहरों में हर तरह की सुविधा व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र धन है और धन खर्च करने पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति सामाजिकता से विमुख होता हुआ पूरी तरह से धनोपार्जन की गतिविधियों में डूबता चला जाता है। शहरों में सामाजिक मेल–मिलाप एक ऐच्छिक वस्तु है, जबकि ग्रामीण इलाके में यह जीवन आधार है। खैर कारण जो भी रहा हो पर यह एक सत्य था। नवीन की ग्रामीण पृष्ठभूमि ने उसे शहर में लोकप्रियता दिला रखी थी। शहर में अधिकतम लोगों से उसकी जान पहचान हो चुकी थी। बुजुर्ग, हमउम्र और छोटे सभी उम्र के लोगों से उसकी बातचीत होती रहती थी। व्यवसाय में ऐसी ही प्रवृत्ति लाभदायक होती है। उम्मीद की जा रही थी कि व्यवसाय जमाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धीरे–धीरे समय बीतता चला जा रहा था, दोनों भाई दुकान के मालिक थे अपने पराए का कोई भेद न था एक भाई जब दुकान से बाहर होता, तो दूसरा दुकान का मालिक होता। इसी तरह जब दूसरा कहीं बाहर जाता तो पहला मालिक बनता।

शुरुआती कुछ महीनों में आय–व्यय का हिसाब नहीं रखा गया। परंतु कुछ महीनों के बाद जब हिसाब लगाया गया, तो पता चला कि दुकान की पूंजी करीब 20% कम हो गई है। अब सभी का चिंतित होना स्वाभाविक था। संजीव के बड़े भाई साहब पिता के कोमल प्रवृत्ति के विपरीत व्यावसायिक एवं सख्त किस्म के इंसान थे। अभी उनकी पढ़ाई चल ही रही थी परंतु कुछेक महीनों के बाद नौकरी या व्यवसाय के लिए प्रस्तुत होने की उम्मीद थी। उन्हें जब इस हानि की खबर पड़ी तो क्रोधित हो उठे। परिवार के धन की बरबादी उन्हें कतई स्वीकार नहीं थी। जब भी घर आते संजीव और नवीन के व्यवसाय में सहायता करने की कोशिश करते। वस्तुतः शुरुआती दिनों में उन्होंने मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन किया। जिसके कारण उनकी अपनी पढ़ाई भी प्रभावित हुई जिसका मलाल उन्हें आज तक है। बहरहाल इन सब का परिणाम यह हुआ कि धन के आगमन और निकास पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। दुकान के काउंटर पर कौन कितनी देर बैठ रहा है और कितना धन आ–जा रहा है सभी का लेखा–जोखा रखा जाने लगा।

नवीन को कभी–कभी यह लगता कि वह दुकान का मालिक नहीं है। इन दिनों उसे काउंटर पर कम ही बैठने को मिलता, अक्सर ही संजीव काउंटर पर बैठे रहते, इधर जब से बड़े भैया अपनी पढ़ाई खत्म करके आए हैं, तब से व्यवसाय पर उनका ही नियंत्रण बढ़ने लगा था। नीति संबंधित मामलों में उनका ही निर्णय मान्य होता। सामान कहाँ से लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, इन सबके लिए तीन भाइयों में बातचीत होती और कभी–कभी बहस में परिवर्तित हो जाती। बहस एक स्वस्थ परिणाम की जनक हो सकती है, यदि सभी संबंधित पक्ष सभी तर्क और समझ के साथ खड़े हों, परंतु होता यह कि बहुतेरे लोग अपने क्रिया–कलापों, दोषों को खुद ही कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ भी यही होता था – दोनों भाइयों में स्वभावगत कमजोरियाँ थी, जिसके कारण उन्हें बड़े भैया की बातें सुननी पड़ती। नवीन को ऐसा लगता कि चूँकी वह चचेरा भाई है इसलिए उसे जान–बूझकर भला–बुरा कहा जा रहा है। अपने स्वभाव पर उसे नाज था। सभी छोटे–बड़े उसे जानते थे। मोहल्ले में, दुकान में सभी उसकी वाकपटुता, मिलनसार स्वभाव के कायल थे। उसके परिचितों की संख्या भी काफी लंबी थी। एक बार जो भी उससे मिलता, प्रभावित हुए बिना न रहता। दुकान पर यदि कोई परिचित ग्राहक आता, तो सबसे पहले नवीन को ही ढूँढता। बातों से बात निकालना एक कला है, इस कला में नवीन निपुण था, इसी कारण उसे लगता कि दुकान के चलने का मुख्य कारण तो

वह है, उसे इस बात का श्रेय तो मिलना ही चाहिए। श्रेय मिलता भी, परंतु कभी–कभी बड़े भैया की कड़वी बातें उसके मन को विद्रुप कर जाती।

बड़े भैया के मन में दोनों भाइयों के लिए एक जैसा स्नेह था। दोनों अनुज जिंदगी का ककहरा सीख रहे थे, बड़े भाई की भी उम्र कुछ ज्यादा न थी। पाँच–छः वर्षो का ही अंतर था। परंतु इसी अंतर ने उत्तरदायित्व का अतिरिक्त बोझ सर पर डाल रखा था। व्यवसाय करना कोई हँसी–मजाक न था। जिस पर भी जब एक बार व्यवसाय घाटे में चला गया हो। एक बार और विफल हुए तो उनके आगे भी नकारा होने का ठप्पा लगने का खतरा था। इन सब बातों को सोच कर उनका भी मन विचलित हो जाता और नए–नए तरीकों से व्यवसाय की लगाम कसने को उद्धत हो जाते। लगाम दोनों अनुजों की भी कसी जाती। आखिर वो भी तो इसी व्यवसाय का ही हिस्सा थे। इसी लगाम कसे जाने के चक्कर में नवीन को अहसास होता कि शायद वह इस परिवार का अभिन्न हिस्सा नहीं है, परंतु यह मात्र उसका भ्रम था।

नवीन अपनी दिनचर्या के बारे में गाँव में अपने माता–पिता, भाई– भाभी को खबर करता रहता। व्यवसाय की सफलता और असफलता, अपने कार्यकलाप, बड़े भैया का सख्त अनुशासन यह सब बातचीत के प्रमुख बिंदु होते। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, सुखद परिवर्तन तो ठीक है, परंतु जब परिवर्तन कड़ाई लाता हो, मानसिक आदतों, दिनचर्या में व्यवधान लाता हो, अहम को चोट पहुँचाता हो, तो ऐसा परिवर्तन सदैव अवांछनीय होता है। नवीन अपने मन की भड़ास अपने घर वालों पर प्रकट करता। नवीन के माता–पिता अपने भाई के परिवार से परिचित थे, अनुभवी थे, उनके अच्छे कर्मो से परिचित होने के कारण नवीन को सही सलाह देते, परंतु नवीन की भाभी, देवर की कुंठाओं को सुलझाने की बजाए उलझाने का कार्य करती। नवीन यदि उस घर में कोई छोटा मोटा कार्य करता, तो इसका मतलब उसके साथ नौकरों वाला सलूक हो रहा है, ऐसा उनका मत था। नवीन कभी भी व्यवसाय में साझेदार नहीं बन सकता है, व्यवसाय जमते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें अक्सर ही नवीन के कानों में डाले जाते। उसे अपनी भाभी सबसे बड़ी हितैषी जान पड़ती। माता पिता और भाई तो उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह थे – चाचा के पास भेज दिया और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, बस! भाभी एकमात्र उसकी सच्ची शुभचिंतक थी, जो उसके मन की बात को समझती और सही विश्लेषण करती। वह रोजाना की बातें नमक–मिर्च लगाकर बताता और बदले में इस परिवार की टीका–टिप्पणी का रसास्वादन क्षुधातुर की भांति ग्रहण करता।

हमारा मन स्वभावतः नकारात्मक बातों को ग्रहण करता रहता है, जिस प्रकार बगीचे में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, लगाना नहीं पड़ता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार खरपतवार को साफ कर, हटाकर ही एक माली मनचाहे चीजों को उगा सकता है ठीक उसी प्रकार हम अपने नकारात्मक विचारों को उखाड़ कर ही सकारात्मक विचारों की नींव रख सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है। परंतु नवीन के जीवन में माली तो था, परंतु दुर्भाग्य से उल्टा ही कार्य कर रहा था। यूँ कहें की कर रही थी। सकारात्मकता उखाड़ कर नकारात्मकता का बीज बो रही थी। धीरे–धीरे यह बीज बढ़कर एक विशाल पेड़ का रूप ले रहा था।

कुछ ही दिनों के बाद होली का त्योहार था। नवीन ने इस बार निश्चय किया कि वह होली अपने गाँव में अपने घर वालों के साथ मनाएगा। इस बात की सूचना उसने बड़े भैया और संजीव को दी। जबसे वह शहर आया था, होली यहीं मना रहा था। कितने सारे जान पहचान वाले थे यहाँ पर सबों से उत्साहपूर्वक रंग खेलता। परंतु इस बार वह गाँव जाने के लिए दृढ़ था। होली बीते 4 दिन हो चुके थे, पर नवीन अभी तक गाँव से नहीं लौटा था। व्यवसाय में विघ्न पड़ता देख बड़े भैया ने गाँव जाकर छोटे भाई को लाने का निश्चय किया। गाँव की तो बात ही कुछ और है, गाड़ी से उतरते ही दूर–दूर तक फसलों से लगे खेत नजर आ रहे थे। शायद चने की फसल थी। शहरों में तो सिर्फ चना दिखता, पूरी फसल गाँव में ही देख सकते हैं। नवीन घर में ही मिल गया, साथ चलने की बात पर बोला, ''रात भर रुक जाइए! सुबह चलेंगे'' रात में चाचा–चाची, नवीन के भैया जो बड़े भैया के हमउम्र ही थे, भाभी सबसे मिलना जुलना हुआ। बाकी सब तो कुशल क्षेम औपचारिक इधर–उधर की बातें करते रहे, परंतु नवीन के भविष्य को लेकर सबसे मुखर स्वर उठा, उसकी भाभी का उनके अनुसार नवीन को शहर में बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा था, काम तो भरपूर लिया जा रहा था, परंतु उसका भविष्य अंधकारमय था। क्या गारंटी थी कि नवीन को इस व्यवसाय में मालिकाना हक मिलेगा? कुछ दिनों के बाद उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल तो नहीं फेका जाएगा? वगैरह–वगैरह! भाभी के मुंह से ऐसा उद्‌गार व्यक्त किए जा रहे थे मानो वही एकमात्र नवीन की हितैषी हों और बाकी सब दुश्मन, बड़े भैया ने बड़े ही धैर्य से सारी शंकाओं के समाधान की कोशिश की – आखिरकार नवीन उनका भी तो

भाई था। नवीन वहीं पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में शायद नवीन की भी सहमति थी, जिसे वह भाभी के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने मान लिया था कि उसकी भाभी ही उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं, जिसकी सलाहानुसार चल कर वह अपना भविष्य सँवार सकता है।

काफी मान–मनौवल के बाद नवीन पुनः शहर जाने को राजी हुआ। सभी इस बात पर सहमत थे कि अच्छे भविष्य के लिए शुरू किया गया कार्य ही एकमात्र विकल्प है। एक बार फिर से जीवन की गाड़ी पुराने ढर्रे पर चलने लगी। काम तो चल रहा था, परंतु इस बार उत्साह की थोड़ी कमी जरूर थी। धीरे–धीरे समय बीतता जा रहा था। इधर नवीन गाँव का चक्कर कुछ ज्यादा ही लगाने लगा था। हर दूसरे–तीसरे महीने वह कुछ न कुछ काम के बहाने से अपने गांव का चक्कर लगा लिया करता, जब भी वह गांव से वापस लौटता, दो–तीन दिन अन्यमस्क सा रहता, काम में जी न लगाता इस बात को बाकी सभी भली–भाँति अनुभव करते। शायद देवर–भाभी में कुछ खिचड़ी पकती और विचारों की आँच में नवीन का मन उचाट हो जाता। नवीन अनुभवहीन था, उसे मानव की मनोवैज्ञानिक दुर्बलता का अभी आभास न था, जो दूसरों के माध्यम से अपनी कुंठाओं को हवा देना चाहता था।

अगली होली के कुछ ही दिन पहले नवीन ने घोषणा कर दी कि वह शहर में नहीं रहेगा। वह अपने गाँव जाएगा और वहीं अपने भविष्य की रूप–रेखा तय करेगा। उसके चाचा, बड़े भैया, संजीव सभी ने मनाने का भरपूर प्रयास किया। उसके भविष्य का वास्ता दिया। लोग तो गाँव से शहर की ओर आते हैं, वह वापस गाँव जा रहा था यह तो उल्टी गंगा बहने जैसी बातें थी। उसे थोड़ा और धीरज रखना चाहिए माना अभी व्यवसाय मद्धम है परंतु मेहनत करने पर बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे – ऐसा सबों का विश्वास था परंतु वह तो जैसे इन सब बातों को सुन ही नहीं रहा था। होली बीत चुकी थी। 3 दिन गुजर गए थे नवीन को न आना था और न आया बड़े भैया एक बार फिर गाँव गए, नवीन की भाभी ने स्पष्ट कर दिया कि नवीन अब शहर नहीं जाएगा, गाँव में ही रहेगा। नवीन भी वहीं खड़ा था उसने भी इस कथन में अपनी सहमति प्रकट की। सारे तर्क धराशायी हो गए, नवीन को उसके सबसे बड़े तथाकथित हितैषी उसकी भाभी के हाल पर छोड़ कर बड़े भैया वापस आ गए। चलने तक छोटे भाई को ऊँच–नीच समझाते रहे, परंतु नवीन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। थक–हार कर उसे वहीं छोड़ना पड़ा।

पुरानी कहावत है कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने में बड़ा मजा आता है, परंतु जब खुद के कंधे पर रखना पड़े तो सजा बन जाती है। कुछ दिन तक तो नवीन को गाँव में मजा आता रहा अपनी भाभी की खातिरदारी का आनंद लेता रहा, परंतु उसके बाद घरवालों की तरफ से काम करने का दबाव बनने लगा । जिस भाभी ने अपनेपन का वास्ता देकर घर बुलाया, वही अब बात–बात पर ताना देने लगी। जल्द ही उसने घर में ही एक छोटी दुकान शुरू करने का निश्चय किया। पूंजी तो ज्यादा नहीं थी, परंतु इधर–उधर से उधार लेकर काम की शुरुआत हुई। दुकान खुल गई। धीरे–धीरे जमने भी लगी। परंतु गाँव की दुकान का दायरा सीमित होता है, शहर के जैसा फैलाव की संभावना नहीं थी। ग्राहकों की संख्या भी सीमित थी। नवीन के हँसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। परंतु इनमें से बहुत सारे ग्राहक ऐसे भी थे जो पहले उसके बड़े भाई के दुकान से सामान लेते थे। फलस्वरुप उसके बड़े भैया की दुकान प्रभावित होने लगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन होने लगी। भाभी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका मत था कि नवीन अपने व्यवसाय को जमाने के लिए गलत प्रलोभन देकर उनकी पुरानी दुकान के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हर दूसरे–तीसरे दिन घर में महाभारत मचने लगा। शहर से वापस लौटने के 6 महीने के भीतर ही अपने घर वालों का वास्तविक रूप देखकर नवीन निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किसे अपना माने। अपने भैया–भाभी को जिन्होंने अपने खून का वास्ता देकर झूठे माया जाल में उलझा कर शहर से वापस बुला लिया, अथवा चाचा के परिवार को, जिन्होंने उसके अच्छे भविष्य की नींव रखने की कोशिश की। इन छः महीनों में उसे रिश्तों के बदलते स्वरूप का अच्छी तरह से आभास हो चुका था। मीठी, चिकनी–चुपड़ी बातों की वास्तविकता से वह परिचित हो चला था। उसके आँखों पर बंधी कथित अपनों की पट्टी का नंगा सच प्रकट हो चुका था, अब वह हर उधेड़–बुन से मुक्त आने वाले भविष्य की रूप–रेखा तय करने में मशगूल था। कौन अपना है और कौन पराया यह भली–भाँति समझ कर उसका नवयुवक मन एक नयी उम्मीद और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था।

क्षमा

दया जी, अपने घर स्थित मन्दिर में, माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े, माँ से क्षमा–याचना कर रहे थे। माँ, आपकी शिक्षा को ग्रहण कर, आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अपने परिवार का भरण–पोषण साधारण तरीके से, सन्तुष्टि से कर रहा हूँ। माँ, मैं छात्र जीवन में, सभी परीक्षा के पहले, अच्छे अंक में उत्तीर्ण होने की विनती, आपसे करता था। आप, अपने इस प्रिय छात्र को निराश नहीं करती थीं। मैं अच्छे अंक में उत्तीर्ण हो जाता था। घर–परिवार और समाज में, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। आपसे वादा करता था – यदि, आपके आशीर्वाद से, कोई अच्छा मुकाम, इस दुनिया में पा सका, अपना सारा जीवन समाज–सेवा में न्योछावर कर दूँगा। माँ, आपने बेईमानी से बचने की शिक्षा दी थी। परन्तु नौकरी में आते, हमने उसे, अपने अंदर प्रवेश करने दिया। आपकी नजरों में गिरने के बावजूद, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना लेकर, आपके आगे, विनती करने आ जाता हूँ। माँ मुझे क्षमा कर दो।

श्री कुन्दन कुमार
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

दया जी, स्कूल में शिक्षक पद पर कार्यरत थे। एक दिन स्कूल के सातवीं क्लास के एक होनहार छात्र, प्रेम को क्लास की पढ़ाई में रूचि न देख, उन्हें गुस्सा आ गया था। उन्होंने, टेबल पर रखी छड़ी से, उसकी पिटाई कर दी। वे चाहते थे, गरीब छात्र प्रेम, पढ़–लिखकर, अपने घर और स्कूल का नाम रौशन करें।

दया जी, ऊँचे स्वर में बोलते हुए – ''केवल दो दिन स्कूल में दोपहर के भोजन मिला नहीं, पढ़ाई–लिखाई से मन को अलग कर लिया। केवल पाँच दिन की बात थी आज दो दिन बीत चुके हैं। तीन दिन के बाद, समय से, तुम सभी को दोपहर का भोजन मिलने वाला था। ऊपर से पदाधिकारी आते–जाते रहते हैं। उनकी खिदमत का ख्याल रखना होता है। उन लोगों ने, यदि, स्कूल का रिपोर्ट–कार्ड खराब कर दिया, स्कूल की क्या इज्जत रह जाएगी।''

अगले प्रश्न का जवाब प्रेम से नहीं मिलने पर, उन्होंने, छड़ी का चार –पाँच जोरदार प्रहार, उसके शरीर पर दुबारा कर डाला। इस बार प्रेम के शरीर की कोशिकाएँ, दया जी के जोरदार प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने, अपनी वेदना, प्रेम के मस्तिष्क तक पहुँचा दिया। प्रेम की आँखों से वेदना के आँसू बाहर निकल, सबके सामने प्रकट हो गए। दया जी को गुस्से में देख, क्लास के अन्य छात्रों के शरीर की कोशिकाएँ और मस्तिष्क सतर्क हो गये थे।

दया जी, सभी छात्रों के प्रिय शिक्षक थे। उनके क्लास में सभी बच्चे ध्यान देकर पढ़ाई करते थे। परंतु आज, प्रेम के व्यवहार ने, उन्हें, क्लास बीच में छोड़ जाने को मजबूर कर दिया।

अगले दिन, दया जी, दुबारा जब, क्लास में पहुँचे, प्रेम को अनुपस्थित देख, वह परेशान हो गये, उन्होंने, उसके पड़ोस में रहने वाले छात्र पूरण से, उसके स्कूल नहीं आने का कारण पूछा।

''विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला''
– मुंशी प्रेमचंद

पूरण ने बताया ''मास्टर जी, स्कूल आते वक्त वह उसके घर गया था। उसकी माँ ने बताया – प्रेम बिना बताए, बिना कुछ खाए सुबह–सुबह घर से निकला है। वह उसके घर आने का इंतजार कर रही थी और उसके स्कूल नहीं जाने से नाराज थी।''

दया जी का मन पठन–पाठन में स्कूल के एक होनहार छात्र के अनुपस्थिति की वजह से नहीं लग रहा था। उन्हें उसकी पिटाई किए जाने का अफसोस था। उनके मन में तरह–तरह के विचार आ रहे थे। कहीं पिटाई से उसे अधिक चोट तो नहीं आई? उन्हें खजूर की उस छड़ी पर गुस्सा आ रहा था। वे बीच में स्कूल छोड़ कर प्रेम के घर जाना चाहते थे। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते थे।

स्कूल की छुट्टी के बाद दया जी, पूरण के साथ प्रेम के घर जा पहुँचे। उन्होंने देखा प्रेम अपनी माँ के साथ बैठकर माँड़–भात खा रहा था। उसे सकुशल देख दया जी ने चैन की साँस ली। प्रेम मास्टर जी को देख डर से अपनी माँ के करीब आ खड़ा हुआ था। उनके हाँथों में खजूर की छड़ी नहीं देख, प्रेम के जान में जान आई।

प्रेम की माँ ने कहा : मास्टर जी प्रेम को मैंने आज स्कूल नहीं जाने पर डाँट लगाई। परन्तु भूखे पेट क्या बच्चों को पढ़ाई में मन लग सकता है? कई दिनों से घर में जलावन नहीं होने से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था।

आज छोरे ने, भिंगी हुई जलावन की खुद व्यवस्था की। तभी देर से सही खाना बन सका। आप लोगों ने कई दिनों से स्कूल में दोपहर का ही भोजन बंद कर दिया है।

पूरण का ध्यान घर के कोने में रखी भीगी लकड़ियों पर गई। वह चिल्लाया : मास्टर जी मास्टर जी..... वह देखिए प्रेम ने क्या किया है?

उसने जलावन के लिये माँ सरस्वती के प्रतिमा को सहारा देने वाली लकड़ियों और पुआल को घर ले आया है। जिनकी प्रतिमा को इस बार सरस्वती पूजा में भिन्न–भिन्न जगहों से लाकर गाँव के तालाब में विसर्जित किया गया था।

दया जी को सारा माजरा समझ में आ गया था। स्कूल के एक गरीब छात्र को क्लास की पढ़ाई में मन नहीं लगना, अपने पेट के भूख मिटाने के लिये, माँ की प्रतिमा को सहारा देने वाली लकड़ियों और पुआल को जलावन में इस्तेमाल किये जाने से वे बहुत शर्मिंदा थे। उनके दिमाग में उथल–पुथल मची थी। ''समाज के कुछ लोगों के अंदर लालच पैदा हो जाने से हमारे समाज के लोग मजबूर हो गलत कदम उठाने को विवश हो जाते हैं।

मास्टर जी उस दिन घर लौटने के बाद माँ की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे, वे खुद को और बाहर से आए, उन पदाधिकारियों को कोस रहे थे, जिनके कारण माँ सरस्वती के आशीर्वाद से पूर्ण एक छात्र को अपने पेट की आग शांत करने को इस तरह से मजबूर होना पड़ा।

हम भाषा को नहीं बनाते, भाषा ही हमको बनाती है।
– अज्ञेय

एक व्यंग्य - बेचारा हाथ...

बात कोरोना काल के एक दिन की है, जब मैं अपने हाथ को अवसादग्रस्त और तनावग्रस्त देखकर पूछा कि भाई क्या हुआ? बेचारा रो–रोकर कहने लगा कि क्या कहूँ, ये कोरोनासुर को आना ही था, तो माध्यम के रूप में मुझे ही क्यों चुना, शरीर में तो और भी कई अंग थे। भाई मैं, तंग आ गया हूँ। जब देखो साबुन, हैंडवाश और सैनिटाइजर। उधर साबुन अलग चिल्लाने लगता है – कहने लगता है कि भाई दिनभर में कितना बार मसलोगे, मेरे इस कोमल शरीर को। मेरा निर्माण बड़ी–बड़ी अभिनेत्रियों और महारानियों के शरीर को कोमल और सुन्दर बनाने के लिए हुआ है, ना कि दिनभर तुम्हारी छेड़–छाड़ सहने के लिए। आँख अलग गुस्साया हुआ है, कहता है खबरदार जो हमें छुआ तो। कल तक, जब–जब इन्हें खुजलाहट होती थी, तो मैं ही इनका सहारा था। नाक को लगता है कि मुझसे घृणा ही हो गया है। इससे पहले उसे जब–जब छींक आती थी तब तब मैं ही उसका सहारा था। मैं ही उसे साफ करता था।

क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। सारे संसार में तो लॉकडाउन हो रखा है। शरीर के किसी अंग के पास जाता हूँ, तो कहता है सोसल डिस्टेंस मेन्टेन करो भाई। मुझे हँसी आती उनकी बातों को सुनकर भाई सोसल नजदीकी कब होती है।समाज में नजदीकियाँ तो स्वार्थ पर टिकी होती हैं। कल तक जब कोरोना नहीं था तो सबों को मेरी जरूरत थी आज जब से कोरोना आया है सब के सब हमसे दूरी बनाने लगे हैं।

भाई इसी हाथ से इबादत, दुआ या प्रार्थना की जाती है। दुनिया के सारे कार्य तो मुझसे ही किया जाता है। हम ठप तो दुनिया ठप।

हे कोरोनासुर, आपने यह क्या कर डाला। उसने मेरा हौसला बढ़ाया और बोला कि घबराओ नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई तो भगवान विष्णु से है। वह विष्णु और मैं विषाणु। जबसे मुझे पता चला कि वह आजकल पृथ्वी पर कुछ कल्याणकारी कार्य करनेवाले हैं और मनुष्य को और शक्तिवान बनानेवाले हैं। मनुष्य मुझे मारने के लिए एक से एक रासायनिक पदार्थ बना रहा है और मेरे अस्तित्व को समाप्त करने वाला है। भाई इस संसार में सब कोई अपने–अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। हम भी लड़ रहे हैं। मनुष्य मेरे विनाश हेतु न जाने कितने तरह के रासायनिक पदार्थ बना रहा है साथ ही पूरे ब्रह्मांड को प्रदूषित कर रहा है। कोरोनासुर फिर बोला कि चिंता नहीं करो। मेरे और विष्णु के इस जंग में अमृत और विष दोनों निकलेंगे। शिव एक बार फिर विषपान करेंगे, तुम्हें अमृत ही मिलेगा। हाँ, इस जंग में कुछ बूढ़े और बीमार जिनका इम्यून कमजोर है मारे जाएँगे। बाकी सब को थोड़ा परेशान करूँगा पर वो फिर स्वस्थ हो जाएँगे। परन्तु उन्हें आचार–विचार बदलना होगा। पृथ्वी को हरा–भरा बनाने के लिए विचार करना होगा।

श्री शम्भू शरण भारती
सेवानिवृत
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

हाथ फिर पूछा कि हे कोरोनासुर, आपकी सब बात तो ठीक है पर आप अपनी सवारी मुझे ही क्यों बनाया। उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि भाई समय बलवान होता है। दूरदर्शन नहीं देखते हो क्या? समाचार पत्र भी नहीं पढ़ते क्या? भारत में हाथ वाली सरकार का सब जगह पतन हो रहा है।

कोरोनासुर की तसल्ली भरी बात सुनकर बेचारा हाथ पुनः शरीर को अपना योगदान देना शुरू कर दिया और प्रार्थना किया कि हे कोरोनासुर अब आप पृथ्वी से विदा हो जाइये, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं मनुष्यों को समझाऊँगा कि प्रकृति से ज्यादा छेड़–छाड़ नहीं करे और रोज कम से कम ''108'' बार ओइम कोरानाय विदाय नमः का मंत्र जाप करें।

!! ओइम कोरानाय विदाय नमः !!

राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है।
– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

वर्तमान में ''ध्यान'' की प्रासंगिकता...

श्री मनोज कुमार, न. 5
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आज के भौतिकवादी युग में जीवन में काफी भाग–दौड़ का समावेश हो गया है। व्यक्ति अपने इच्छित फल की प्राप्ति के लिए इतना तल्लीन है कि उसे अपने शारीरिक व आत्मिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। यह समय निकालना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएँ अनावश्यक होती हैं, जिसे पूरा करने में काफी समय निकल जाता है। कभी–कभी इसके दुष्परिणाम इतने उलझाते हैं कि हमारा सारा जीवन इसे सुलझाने में ही बीत जाता है। इसलिए थोड़ा समय अपने लिए भी जरूर निकालना चाहिए।

हमारे अंतःकरण में स्थित आत्मा की तीन चैतन्य शक्तियाँ होती हैं – मन, बुद्धि और संस्कार । स्वयं में समाहित किए गए सतत परिवर्तनशील चित्त की लहरों का नाम "मन" है, जो एक पल शांत रहता है और दूसरे ही पल हलचल में आ जाता है। वस्तुतः मन में असंख्य व अव्यवस्थित विचार उत्पन्न होते रहते हैं। "बुद्धि" इन असंख्य एवं अव्यवस्थित विचारों को व्यवस्थित करने, परखने तथा निर्णय लेने का कार्य करता है। संस्कार इन्हीं विचारों के व्यवहार (मनसा, वाचा और कर्मणा) में लाने के अनुसार बनता है। ऐसा कई बार होता है कि हमारा मन कुछ और करने को कहता है तथा बुद्धि कुछ और। संस्कार इनसे परे करने को कहता है। यदि तीनों एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो कार्यसिद्धि आसान होती है। मन, बुद्धि और संस्कार को एकाकार करने में सहायक होता है ध्यान। अतः संस्कार का प्रथम सोपान "मन" है और मन की चंचलता को वश में करने का आसन है "ध्यान" ।

एक दिन किसी प्रसंग के दौरान एक व्यक्ति द्वारा इन सांसारिक गतिविधियों की चर्चा करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की व्याख्या की जा रही थी और उन्होंने बताया, "इससे दूर रहना नामुमकिन है।" एक सज्जन ने उनसे कहा कि इससे बचने के लिए ''ध्यान" लगाइए। उन्होंने बताया, ''मैं जब भी ध्यान लगाता हूँ, मन में तरह–तरह की बातें आने लगती हैं – औरों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, पारिवारिक उलझन, बिना अपराध किये कोर्ट के केस में फँस जाना, अधिक पैसे कमाने के तरीके आदि। ध्यान का पूरा समय मन के अंदर होनेवाली हलचल में फँस जाता है। ध्यान के पश्चात् जब उठता हूँ तो पहले से भी अधिक थका हुआ, अशांत और अस्थिर महसूस करता हूँ। इसलिए अधिकांश लोगों को "ध्यान" मुश्किल लगता है और वे इसको जीवन में नहीं अपनाते हैं।''

कुछ पल के लिए उस व्यक्ति का कथन सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः ध्यान का मूल तथ्य यह है कि शुरूआती दौर में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं जिसके कारण परिणाम भी इसके विपरीत आते हैं – हम

ऐसे पेशे का चयन करें जो आपको अच्छा लगता हो, और आपको अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। – कंफ्यूशियस

अशांत और अस्थिर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विकल्प हैं – ध्यान को जारी रखें या छोड़ दें। छोड़ देने से साधक इसमें रूचि खो बैठता है, ध्यान पहेली–सा लगने लगता है और ध्यान के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। जो लोग दूसरे विकल्प को अपनाते हुए ध्यान को जारी रखते हैं, उसे ध्यान की भावातीत, मन को विचारों से खाली करने, व्यक्तित्व का कायाकल्प करने जैसी उच्चस्तरीय बातें उसे समझ में आने लगती हैं। वास्तविकता यह है कि ध्यान के पूर्व की तैयारी के लिए हमें ध्यान के स्वरूप, मन की प्रकृति एवं ध्यान के प्रवेश के पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, तब हम धैर्य एवं समझ के साथ ध्यान की प्रकिया में भाग लेते जीवन का अभिन्न अंग बना पाते हैं।

मन संकल्प लेता है और बुद्धि तर्क करती है व निर्णय लेती है। जब मन और बुद्धि एकाकार हो जाय तो इसे "एकाग्रता" कहते हैं। एकाग्रता की अवस्था में ही कोई भी कलाकार अपना उच्चस्तरीय प्रदर्शन कर पाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि "वर्ग–कक्ष में शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनो। आपका ध्यान किधर रहता है जी?'' तो यह एकाग्रचित अवस्था की ओर इंगित करता है। इसी एकाग्रचित अवस्था को जब हम विशुद्ध स्तर तक ले जाते हैं और "आध्यात्मिक प्रयोजन" से जोड़ते हैं तो इसे "ध्यान" कहते हैं, जो जीवन को परम लक्ष्य की ओर ले जानेवाले चित्त के परिष्कार की कुंजी बनता है। तब हम मन को अपने वश में कर पाते हैं ।

"ध्यान" साधना के पूर्व की अवस्था है। इसे साधना का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। यह संसार–सागर को पार करने के लिए एक समय–साध्य कार्य है। उच्च आदर्श वाले व्यक्ति को ही "ध्यान" के माध्यम से पारलौकिक पुरूषार्थ का महाकार्य सिद्ध होता है।

ध्यान की उच्चस्तरीय अवस्था तक सीधे पहुँचना कठिन है। अतः ध्यान के इच्छुक साधकों को इसकी बौद्धिक समझ विकसित करनी होगी तथा ध्यान के माध्यम से मन की प्रकृति को भी समझना होगा। मन की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है – तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब मन में तम और रजोगुण प्रभावकारी होता है, तो हमें उस समय ध्यान नहीं लगता है। ऐसे समय में मन "जड़ता" की अवस्था में होती है और यह इच्छाओं, कामनाओं एवं वासनाओं के भाग–दौड़ में बह रहा होता है। जब मन में रज एवं तम गुण शांत होते हैं, तो सत्वगुण प्रभावकारी होता है और यह अवस्था "ध्यान" के अनुकूल होती है। इस अवस्था में "चेतना" के रहस्य एक–एक करके समझ में आने लगते हैं। तम एवं रजोगुण की अवस्था में जब चित्त की लहरें उठ रही हों, तो उन्हें दबाया या रोका नहीं जा सकता है, उनकी दिशा बदली जा सकती है अथवा उनकी गति को संतुलित किया जा सकता है। इस दिशा व गति देने का नाम है ध्यान। ध्यान का शुभारम्भ आध्यात्मिक अभिरूचि पैदा होने के साथ होता है। आध्यात्मिक आभा से दीप्त महापुरूषों का सत्संग एवं उनकी शिक्षाओं का स्वाध्याय व्यक्ति में आध्यात्मिक अभिरूचि को पैदा करता है और जब अपने इष्ट, आराध्य एवं गुरू के प्रति अनुराग जगता है, तो भावनाओं का प्रवाह एक उच्चस्तरीय दिशा को पाता है। इसके साथ अंतर्दृष्टि मिलती है अर्थात् उसके मन में स्थित अंधकार का पर्दा हटता है और प्रकाश पुंज दिखाई देता है, जिसके साथ ध्यान की गहराइयों में उतरना आसान हो जाता है। मार्ग के अवरोध को असीम धैर्य के साथ वह पार करता है और "ध्यान" उसके जीवन की महायात्रा, अंतर्यात्रा और चेतना की शिखर यात्रा का माध्यम बन जाता है।

इसी के साथ जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है और "आदर्शवादिता" जीवन का अंग बन जाती है। संयम, साधना एवं आत्मानुशासन के साथ मन की चंचलता धीरे–धीरे शांत होती जाती है और निष्काम कर्म का महत्व समझ में आने लगता है। परमार्थपरायणता का जीवन में समावेश होने लगता है और आध्यात्मिक ग्रंथों के सार–सूत्रों पर चिंतन–मनन ''ध्यान'' की गहराई के सोपान बन जाते हैं।

हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं आत्मीयता की भाषा है।
– राजभाषा विभाग

हिंदी भाषा और संबद्ध विडंबनाएँ...

श्री बालमुकुन्द पाठक
लेखापरीक्षक

एक बालक जब अपने माता–पिता की छत्र–छाया में पोषित हो रहा होता है, तब उसके माता–पिता व आसपास के परिवेश में रहने वाले लोगों द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण होता है – वे निश्चित रूप से उस बच्चे के मस्तिष्क में क्रियान्वित होकर अवचेतन मन में स्थापित होते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भावस्था में ही शिशु पर बाहरी गतिविधियों का प्रभाव पड़ने लगता है। यही कारण है कि गर्भधारण के पश्चात् चौथे या छठे माह में ''सीमांतोनयन संस्कार'' करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य है – माता के मन को प्रसन्न करना, जिससे कि गर्भ उत्कृष्ट व स्वस्थ हो। विचारणीय है कि शिशु के सम्यक् स्वास्थ्य हेतु यदि माँ के ''मानसिक स्वास्थ्य'' का इतना महत्त्व है, तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर ''शब्दों'' की क्या छाप पड़ती होगी? कदाचित यही कारण है कि स्वयं द्वारा बचपन से बोले जाने वाली भाषा को ''मातृभाषा'' भी कहते हैं।

''श्रवण'' करना, सीखने का प्रथम चरण है। कहते हैं, अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हमारे चित्त में विचारों का जो व्यापार चलता है, वह हमारे द्वारा लंबे काल तक श्रवण की गयी भाषा के अनुरूप ही होता है। अतः व्यक्ति का श्रेष्ठतम नैसर्गिक चिंतन अपनी मातृभाषा में ही अभिव्यक्त होना स्वाभाविक है।

जब आप मस्तिष्क की परिपक्वता होने के उपरांत कोई एकदम ही नई भाषा सीखते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को उस भाषा में उतने ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर दें, तो यह एक दीर्घकालिक चेष्टा हो जाएगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क को मातृभाषा के माध्यम से विचारों के समन्वय की आदत हो चुकी है। यहीं मैकाले ने प्रहार किया...!

भारत में मैकाले के अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के आगमन के साथ एक ऐसी ''विडंबना'' भी आई, जिसका दूरगामी प्रभाव भारत आज तक झेल रहा है और न जाने कितने दशकों तक झेलेगा। मैकाले का ध्येय स्पष्ट था – भारत के लोगों को उनकी पारंपरिक गुरूकुलीय शिक्षा व्यवस्था से पृथक करके अंग्रेजी शिक्षा के आवरण में कैद कर लेना। इससे केवल भाषा ही आंग्ल नहीं होगी, अपितु संस्कृति, सभ्यता, आचार–विचार सभी कुछ आंग्ल होने की ओर अग्रसर होने लगेंगे और शनैः–शनैः भारत के लोग अपनी ही सभ्यता, संस्कृति, इतिहास व भाषा के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो जाएँगे। मैकाले की दूरदर्शिता की सफलता आज भी प्रत्यक्ष अनुभूत की जा सकती है।

अब उपर्युक्त तथ्य का, खेल के प्रारंभ में कही गई बातों से सामंजस्य बैठा कर विचार करें। जब आप शिक्षा व्यवस्था में ही भाषा का माध्यम मातृभाषा नहीं रहने देंगे, तो स्वतः ही बच्चों की स्वाभाविक मानसिक वृत्ति (विचारों का व्यापार) क्षीण होगी, कलात्मक चिंतनशीलता भंग होगी, कौशल विकास न्यून होगा। निःसंदेह मैकाले ने भारत के 'मूल' पर प्रहार किया था। वह वृक्ष जिस पर सोने की चिड़िया निवास करती थी और सुसंस्कृति से फलित होती थी, वह सूखता गया। परिणामस्वरूप भारत में कुशल व आत्मनिर्भर जनसंख्या का स्थान 'नौकरों' ने ले लिया, जैसा कि मैकाले का स्वप्न था। तन से भारतीय, मन–मस्तिष्क से अंग्रेजों के गुलाम।

विडंबना है कि मैकाले के उस दुराग्रही स्वप्न को किसी और के नहीं, अपितु स्वतंत्रतोपरांत भी व्यवस्थाओं के केन्द्र में हमारे ही द्वारा पोषित–पल्लवित किया जाता रहा। हमने इस परतंत्रता को मौन स्वीकृति दे दी।

आज लगभग 150 से अधिक वर्षों बाद भी, अर्थात् सदी बीतने के बाद यह धारणा और पुष्ट ही हुई है। माता–पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी अवश्य आनी चाहिए। चाहे फिर हिंदी को वह भूल भी जाए। हिंदी भूल कर अपने अतिथियों के समक्ष फर्राटेदार ब्रिटिशनुमा अंग्रेजी में चार वाक्य बोल दे, तो वह गौरव का विषय हो जाता है। युवाओं के लिए हिंदी वर्णमाला स्मरण न होना, बड़ी ''कूल'' बात हुआ करती है। मेरी समझ के परे की बात है कि कोई विदेशी भाषा

यदि मैं उदास महसूस करती हूं तो मैं काम पर चली जाती हूं, काम में व्यस्तता उदासी का उत्तम प्रतिकार है।
– एलेनोर रूजवेल्ट

का ज्ञान न होना लज्जाजनक बात होनी चाहिए, अथवा मातृभाषा का ज्ञान न होना? यहाँ यह तर्क अवश्य आएगा कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है, नौकरी मिलने के लिए अंग्रेजी आना आवश्यक है, बहुभाषी होने के कारण भारत में अंग्रेजी को ही एक सेतु के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इत्यादि–इत्यादि। परंतु पहली बात, यह एक विवादास्पद विषय है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अथवा नहीं। दूसरी, भाषा विशेष के आने या ना आने का यदि रोजगार पर असर होना होता, तो आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर कॉलेजों से निकल रही अधिकतर आबादी बेरोजगार नहीं बैठी होती। तीसरी, मान लिया अंग्रेजी की प्रासंगिकता बढ़ी भी हो, तब भी, हिंदी को किसी अन्य भाषा से कमतर मानकर उसकी उपयोगिता को नगण्य मानना हिंदी भाषा के प्रति अन्याय है। चौथी बात, यदि एक ऐसे भाषायी माध्यम की आवश्यकता है, जो पूरे भारत को जोड़ता हो, तो वह भाषा हमें बाहर से आयात क्यों करनी पड़ी, जब हमारे पास अनेक भाषाओं का बहुमूल्य खजाना है ? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है भला, जहाँ मातृभाषाओं की यह दशा होगी ?

हाल ही में, मध्यप्रदेश के एक शैक्षणिक संस्थान में एक लड़की ने हिंदी माध्यम से पढ़ा होने और अंग्रेजी न आने के कारण सहपाठियों द्वारा की गई मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कितने ही बच्चों के आत्म–बल की ऐसे ही हत्या होती है, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी मातृभाषा जानते हैं और एक विदेशी भाषा नहीं।

हम छोटे थे, तब बच्चों को अंग्रेजी बोलना आए– इसके लिए विद्यालयों में नियम बनाए जाते थे कि यदि हिंदी में बात की, तो दंड भरना पड़ेगा। विचार कीजिए एक छोटे से बच्चे के मानस–पटल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ? यही कि मेरी अपनी भाषा तो इतनी बुरी है कि उसको बोलना ही अपराध है। क्योंकि दंड तो तभी दिया जाता है, जब आप कोई अपराध करते हैं। ऐसे में हम उन बच्चों से युवावस्था में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान की क्या अपेक्षा करेंगे ? सोशल मीडिया के माध्यम से एक नई ''भाषा'' को लोगों ने जन्म दिया है, जिसे ''हिंग्लिश'' कहा जा रहा है। अर्थात् हिंदी को अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना। मतलब, जो रही सही कसर थी, वह भी इससे पूर्ण हो गई। यदि मैं अंग्रेजी को ऐसे लिखना प्रारंभ कर दूँ ''हेलो! आई सॉ योर कॉल इन द मॉर्निंग, एक्चुअली आई एम वैरी बिजी दीज डेज, प्लीज कॉन्टैक्ट मी लेटर'', तो आप ठहाके लगाकर हँसेंगे, और मुझे बेवकूफ समझेंगे। लेकिन स्मरण रहे, आज यही काम हम हिंदी के साथ कर रहे हैं ! यहाँ तक कि हमारे हस्ताक्षर, जो कि हमारी पहचान (आइडेंटिटी) के सबसे सामान्य रूप में प्रयोग किए जाने वाला साधन है, उसे भी अंग्रेजी में करते हैं। निष्कर्षतः मूल पहचान ही अपनी स्वयं की नहीं रही।

देश के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी आधिकारिक रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में नहीं डाल सकते। एक बार किसी ने हिंदी में याचिका दायर की थी जिसे ''असंवैधानिक" करार देकर निरस्त कर दिया गया था। अर्थात् देश के न्याय मंदिरों में आप अपनी ही भाषा में अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। (सम्प्रति संभवतः भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री डी. वाई. चन्द्रचूड़ के निर्देश के उपरांत हिंदी भाषा में भी याचिका दायर करने का विकल्प प्रदान किया गया है)।

यह स्वयं ही अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है, जहाँ देश के अधिकतर लोग अंग्रेजी जानते तक नहीं हैं। यह विडम्बना नहीं तो क्या है ? देश के कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अनेक प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में यद्यपि संवैधानिक रूप से दोनों भाषाओं को राजभाषा का एक समान दर्जा प्राप्त है, तथापि, व्यावहारिक रुप से हिंदी का दर्जा अंग्रेजी से अत्यन्त निम्न है। जब हिंदी की यह हालत है, तो भाषाओं की जननी संस्कृत की तो बात कर ही नहीं सकते, जिसका माहात्म्य समस्त विश्व स्वीकार चुका है। क्या हमने अपनी ही स्वायतत्ता को पिंजड़े में बंद करके उसकी चाबी स्वयं लगाकर पराभूत नहीं कर दिया ? हिंदी हमारे कंठ का आभूषण है, हमारी विद्या की संपन्नता का प्रताप है। हिंदी से दूर होकर हमने अपनी वाणी की ओजस्विता, व्यक्तित्व की प्रखरता, बुद्धि की तीक्ष्णता, मन की निर्मलता और स्वभाव

मैंने विश्व की अनेक भाषाओं का अध्ययन किया है परन्तु जैसी संप्रेषण क्षमता हिंदी भाषा में है वैसी अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। – डॉ. फादर कामिल बुल्के

चंद्रयान – 3

पौराणिक कथाओं में जहाँ चन्द्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है। वहीं, शायरियों और कविताओं में चन्द्रमा प्रेमी हृदयों के भीतर उपमा बनकर अंलकृत हुआ। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि ने चन्द्रमा को एक उपलब्धि के रूप में देखा है। बीते लम्बे समय से चन्द्रमा इंसानों के लिए उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। दुनिया की अलग–अलग सभ्यताओं ने चाँद और सूरज को लेकर कई कल्पनाओं, मिथकों और कहानियों को अपने जीवन और परम्परा का हिस्सा बनाया।

चाँद और सूरज आसमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ऐसे उपग्रह और सितारे हैं जिन्हें रोजाना खुली आँखों से निहारते हुए मनुष्य मन के भीतर उन तक पहुँचने और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा सहज पैदा होती रही है। सूरज अपनी दूरी और अपनी गर्म प्रकृति के कारण दुर्लभ बना हुआ है, लेकिन चाँद जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है और हमारे ग्रह का "उपग्रह" कहलाता है, उसने वह सारी संभावनाएँ खुली रख छोड़ी है जिससे मनुष्य जाति चाँद पर जाकर बसने और वहाँ कॉलोनियाँ बनाने का सपना देख सकती है।

गौरतलब बात है कि 60 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरु हुई स्पेस रेस के चलते अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 1969 में अपने दो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चाँद की सतह पर उतारा। इसके बाद कई अपोलो मिशन चाँद पर भेजे गए।

हालाँकि, साल 1972 में जेने सेरनन के बाद से कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट अभी तक चाँद की सतह पर कदम नहीं रखा है। वहीं, अब दोबारा अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चाँद को एक्सप्लोर करने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों के अलावा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर कम जिज्ञासा और कौतुहल से भरा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहाँ भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन "चंद्रयान–3" के जरिए बढ़ चले हैं।

LVM रॉकेट से चंद्रयान–3 को किया जाएगा लॉन्च–

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) 14 जुलाई, 2023 को दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर से ''चंद्रयान–3" लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान–3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से (शेकलटन क्रेटर) पर उतर सकता है, जहाँ अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुँचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं।

श्री सुबोध कुमार
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

पहले के मुकाबले इस बार चंद्रयान–3 का लैंडर ज्यादा मजबूत पहियों के साथ 40 गुना बड़ी जगह पर लैंड होगा। चंद्रयान–3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह को सुरक्षा उपकरणों का लगाया गया है। चंद्रयान–3 मिशन की थीम "Science of The Moon" यानि चंद्रमा का विज्ञान है।

शेकलटन क्रेटर

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला एक बड़ा **शेकलटन क्रेटर (गढ्ढा)** है। इस खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुँची है। इस वजह से यहाँ का तापमान –267 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। इस कारण यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। कई वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शेकलटन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज पानी मिल सकता है।

इसके अलावा, यहाँ पर अमोनिया, मिथेन, सीडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे जरूरी संसाधन मिल सकते हैं। चंद्रयान–3 मिशन के अंतर्गत रोवर के माध्यम से इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर किया जाएगा। रोवर की मदद से चांद की सतह की मिट्टी, वहाँ का तापमान और वातावरण में मौजूद गैसों के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके अलावे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की संरचना और वहाँ का

भूविज्ञान कैसा है? इन तथ्यों के बारे में भी जाना जाएगा।

चंद्रयान–3 का लैंडर

चंद्रयान–3 का लैंडर **विक्रम** नाम से है। यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। विक्रम लैंडर 1,475 किलोग्राम वजनी है और 4.5 मीटर लम्बा है। इसमें चार पैर हैं जो इसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में मदद करेंगे। लैंडर में एक पेरोजूट भी है, जो इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतारने में मदद करेगा।

चंद्रयान–3 का रोवर

विक्रम लैंडर में एक रोवर भी है, जिसका नाम **प्रज्ञान** है। प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। प्रज्ञान 135 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर लम्बा है। इसमें चार पहिए हैं जो चंद्रमा की सतह पर चलने में मदद करेंगे।

विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही भारत द्वारा विकसित सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान हैं। इनके सफल होने से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।

रोवर में निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं–

1. एक मल्टी–स्पेक्ट्रम कैमरा जो चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन करेगा।
2. एक लेजर रडार जो चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा।
3. एक एक्स–रे स्पेक्ट्रोमीटर जो चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिजों का अध्ययन करेगा।
4. एक चुम्बकीय मापी जो चंद्रमा के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा।
5. एक कण संसूचक जो चंद्रमा के वायुमण्डल में मौजूद कणों का अध्ययन करेगा।

रोवर चंद्रमा की सतह पर 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान यह चंद्रमा की सतह पर 5 किलोमीटर तक चलेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करेगा।

चंद्रयान–3 से भारत को लाभ

चंद्रयान–3 भारत को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुँचा सकता है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान क्षेत्र में एक महवत्पूर्ण कदम है और राष्ट्र को निम्नलिखित तरीकों से लाभ प्रदान कर सकता है–

1. वैज्ञानिक अनुसंधान–

चंद्रयान–3 के माध्यम से प्राप्त डेटा भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्र के विभिन्न तत्वों, भौतिक गुणों और जल वायुमंडल की जानकारी प्रदान कर सकता है। इससे वे चंद्र और अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए नए अनुसंधान कर सकते हैं, जिससे विज्ञान में नई प्रगति होगी।

2. विश्वास और गर्व–

इस मिशन की सफलता के माध्यम से भारत अंतरिक्ष मिशनों में अपने अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है। यह राष्ट्र को विश्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है और राष्ट्रीय गर्व का विषय बन सकता है।

3. तकनीकी विकास–

इस मिशन में इसरो ने नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। इससे भारत अंतरिक्ष उन्नति में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

4. व्यावसायिक उपयोग–

चंद्रयान–3 मिशन के वैज्ञानिक डेटा का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। इस डेटा को उपयोग करके भारतीय उद्योग और व्यापारिक क्षेत्रों को नए अवसर मिलते हैं, जो उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं।

5. विदेशी अनुसंधान में सहायता–

चंद्रयान–3 मिशन के सफलता के कारण, भारत विदेशी अंतरिक्ष अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक संगठनों को भी विश्वसनीयता और सहायता प्रदान कर सकता है।

चंद्रयान–3 की सफलता से भारत को विज्ञान, तकनीक और अंतरिक क्षेत्र में बड़े कदम आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। यह मिशन भारत की ताकत, अध्ययन और नवीनता को प्रमाणित करता है और विश्व में एक उच्च स्तरीय राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद कर सकता है।

खाना कौन बनाएगा

श्रीमती मधु कु० पाण्डेय
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

ये सवाल दिखने में बड़ा सरल सा है। परंतु यही सवाल कि खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा, जब मैं कमा ही रहा हूं तो तुम कमा कर क्या करोगी ऐसे ही कुछ सवालों ने भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर के आंकड़ों के अनुसार 67.2 प्रतिशत कामकाजी उम्र की महिलाओं को श्रम भागीदारी से दूर रखा हुआ है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या लगभग 66.3 करोड़ है जिसमें लगभग 45 करोड़ महिलाओं की उम्र 15–64 वर्ष के बीच है और वे श्रम बल की श्रेणी में आती हैं।

इस सिलसिले में स्वामी विवेकानन्द का विचार महत्त्वपूर्ण है उन्होंने कहा था कि "किसी राष्ट्र के विकास का सबसे अच्छा थर्मामीटर वहां मौजूद महिलाओं का प्रबंधन है। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण की कोई संभावना नहीं है। अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों द्वारा दूसरी संस्कृति पर आक्रमण अथवा एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति ने सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का किया है। महिलाओं ने लंबे समय तक पीड़ा झेली है, और इससे उन्हें अंतहीन धैर्य और सहनशक्ति मिली है। पूर्ण नारीत्व की अवधारणा पूर्ण स्वतंत्रता है। उस परिवार या देश के उत्थान की कोई आशा नहीं है जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है, जहां वे दुख में रहती हैं।''

बाहरी आक्रमण और सांस्कृतिक दासता के कारण धीरे धीरे महिलाएं पितृ सत्ता के अधीन हो गईं अर्थात ये समाज धीरे धीरे पिता के नाम और पिता के ही सत्ता से जाना जाने लगा और कालांतर समाज के मौजूद कर्मयोगियों में महिलाओं का प्रतिशत घटता गया और उनमें निरक्षरता और अशिक्षा का प्रतिशत बढ़ता गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व समझना है तो इस संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 28 फरवरी 2023 को प्रकाशित इकोरैप रिपोर्ट हमारी मददगार हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाएं अवैतनिक सेवाओं में हैं अर्थात खाना बनाने, बच्चे संभालने अथवा अन्य गृहस्थी के कार्यों में लगी हैं माना की इसी काम के लिए उन्हें दिन के आठ घंटे काम करने का मासिक वेतन ग्रामीण क्षेत्र में 5000 रुपए और शहरी क्षेत्र में 8000 रुपए का भुगतान किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में इन महिलाओं का योगदान 22.7 लाख करोड़ रुपये का होता जो कि भारत की कुल जीडीपी का 7.5 प्रतिशत है।

हालांकि भारत सरकार रोजगार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में महिला श्रमिकों को अनुमति देने आदि के प्रावधान हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 जो कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करता है। समाज को यह विश्वास दिलाता है कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कानूनों के साथ –साथ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संबंधी संहिता (ओएसएच), 2020 में ऊपरी खदानों में महिलाओं के रोजगार के प्रावधान हैं, वेतन संहिता (कोड ऑन वेजेज) 2019 यह प्रावधान करता है कि किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कर्मचारियों के बीच समान नियोक्ता द्वारा समान कार्य या समान प्रकृति के काम के संबंध में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई

''योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है।''
– बी.के.एस. आयंगर

भी कर्मचारी इसके अलावा, कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को समान काम या समान प्रकृति के काम के लिए रोजगार की शर्तो में भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे काम में महिलाओं का रोजगार किसी वर्तमान कानून द्वारा या उसके तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

उपर्युक्त सरकारी प्रयासों के बावजूद श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी वांछित स्तर की नही हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है सामाजिक इच्छाशक्ति का नहीं होना। आज भी समाज की यही मनोधारणा है कि खाना कौन बनाएगा। जबकि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं खाना कौन बनाएगा के सवाल से बाहर निकलते हुए स्वरोजगार अथवा संगठित क्षेत्र में रोजगार लेती हैं तो वह रोजगार दर में अपनी तो भागीदारी को सुनिश्चित करती ही हैं बल्कि खाना बनाने के लिए एक अन्य महिला के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोलती हैं।

अतः खाना कौन बनाएगा हमे इस सोच से बाहर निकलना होगा और सरकार के साथ साथ समाज को भी अपने अंदर बदलाव लाते हुए यह सोचना होगा कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो।

हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। – मैथिलीशरण गुप्त

!! ॐ जय गणेशाय: नम: !!

आसान वास्तु

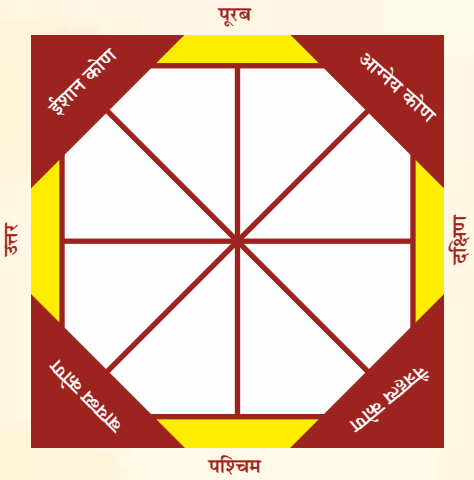

जमीन की गुण जाँचने के नियम

- जमीन के एक फिट वर्गाकार गढ़ा खोदकर पुन: मिट्टी भरने से यदि मिट्टी नहीं घटे तो जमीन अच्छी मानी जाएगी।
- जमीन में एक फीट वर्गाकार गड्ढ़ा खोदकर, उसमें पानी भर दें एवं सौ कदम चल कर पुन: लौटकर आने के बाद भी यदि पानी नहीं या आधा घटे तो जमीन अच्छी मानी जाएगी।

जमीन का प्रकार

- भूमि आयताकार अथवा वर्गाकार हो तो अच्छा माना जाता है।

घर बनाने के कुछ आवश्यक नियम :

- घर को इस तरह बनावें कि चारों तरफ अहाते को नहीं छुए।
- नाला दक्षिण से उत्तर की ओर हो।
- घर को इस तरह बनावें कि दक्षिण–पश्चिम दिशाओं की तुलना में उत्तर–पूर्व दिशाओं में अधिक खुला स्थान रहे।
- कुआँ उत्तर–पूर्व कोने अर्थात ईशान कोण की ओर थोड़ा हटकर होना चाहिए।
- जल टंकी भूमिगत अहाते को नहीं छुते हुए ईशान–कोण में होनी चाहिए।
- पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए।
- पूजा घर में मूर्ति या तस्वीर इस प्रकार रखें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो।
- रसोईघर आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। खाना बनाते समय मुख पूरब की ओर होना चाहिए। रसोईघर में पीने का पानी का नल उत्तर–पूर्व में जबकि चूल्हा दक्षिण–पूर्व कोने में होनी चाहिए।
- स्नान घर अन्दर में होने से पूर्व की ओर बनावें।
- शौचालय नैत्रहत्य कोण में बनावें, और ऐसा बनावें कि इसका उपयोग करने वाले उत्तर दिशा में मुख करके बैठे।
- सेप्टिक टैंक उत्तर–पूर्व में थोड़ा हटकर बनाया जा सकता है।
- ड्राइंग रूम ईशान और पूर्व के मध्य या वायव्य कोण में बनाया जा सकता है।
- उत्तर–पूर्व (ईशान कोण) को खुला रखना चाहिए।
- गृहस्वामी को सदा उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए।
- भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए और भोजन करते समय मुख पूरब या पश्चिम में होना चाहिए।
- स्टोर रूम वायव्य कोण में बनाना चाहिए।
- धन रखने का कक्ष उत्तर दिशा में बनाना चाहिए।
- गुहस्वामी का शयन कक्ष दक्षिण–पश्चिम कोण में बनाना चाहिए।
- बच्चों या मेहमान के लिए पश्चिम दिशा में कमरा रखना चाहिए।
- खाने के समय अपना सिर सदा दक्षिण या पूरब की दिशा में रखें।
- बच्चों को अपनी पढ़ाई सदा पूरब की ओर मुख रखकर करनी चाहिए।
- सीढ़ी दक्षिण–पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए – घड़ी की सुई यानी Clockwise अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर घुमावदार होनी चाहिए।
- गैरेज वायव्य कोण में बनाना चाहिए।
- खिड़की, दरवाजे, रोशनदान इनकी संख्या सम होनी चाहिए।
- मुख्य द्वार की बाड़ दो पल्ले की होनी चाहिए और शेष किवाड़ एक पल्ले की।

नोट : ऊपर दिये गये नियमों का साठ प्रतिशत (60%) पूर्ण होता है तो उत्तम और उससे ऊपर अति उत्तम और शत प्रतिशत असम्भव।

–: इतिश्री :–

!! ॐ नम: शिवाय !!

श्री शम्भू शरण भारती
सेवानिवृत
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए. आई.

सुश्री नेहा कुमारी
पिता – श्री वीरेन्द्र यादव
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह है जिसे हम मशीनों पर मानव बुद्धि की उत्तेजना कह सकते हैं। तकनीकी क्रांति के इस उछाल में, हमें आश्चर्य होता है कि क्या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता अब मायने रखती है। हाल ही में देखा गया है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री की वजह से भारत में जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ है शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आज बाजार के लगभग हर मिड रेंज स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर देखने को मिल रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक कम्प्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब मशीनों के बीच संवाद करना भी मुमकिन हो गया है। वास्तव में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस ने रोबोटिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस तकनीक की वजह से अब रोबोट में चीजों को रखने की क्षमता आ गई है। अब रोबोट कुछ काम करने का निर्णय खुद ही ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पीच रिकग्निशन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है।

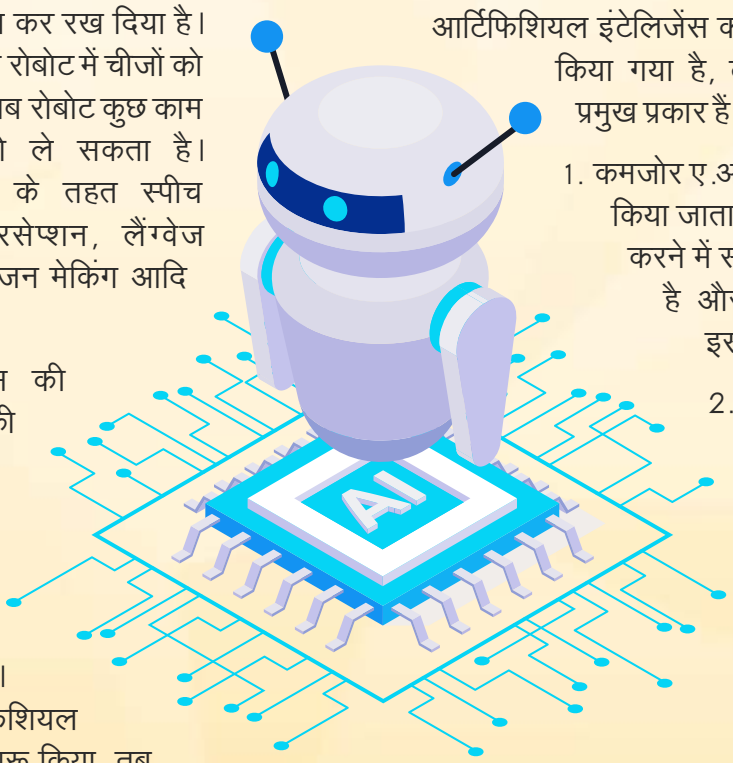

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जॉन मैकार्थी ने की थी, उनके दोस्तों मार्विन मिस्की, हर्बर्ट साइमन, ऐलेन नेवेल ने मिलकर शुरुआती कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और शोध कार्य किया था। जब जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया, तब वह तकनीक विकसित नहीं थी लेकिन समय के साथ तकनीक, एलगोरियम कम्प्यूटरिंग पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज यह काफी लोकप्रिय और कामयाब हो गई है।

विदित हो कि 1950 के दशक में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1970 के दशक में लोकप्रियता मिली जब जापान ने इस पर पहल की। 1981 में जापान ने 5वाँ जेनरेशन योजना की शुरूआत की, इसमें सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद ब्रिटेन ने एलवी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। बाद में यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट (ESPRIT) नामक कार्यक्रम की शुरूआत की। 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ 'माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी' की स्थापना की।

वैज्ञानिकों ने समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग–अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन सामान्यतः इनके दो प्रमुख प्रकार हैं –

1. कमजोर ए.आई. : इसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक टास्क ही करने में सक्षम होता है। एप्पल का सिरी है और गूगल का वॉयस सिस्टम इसके उदाहरण हैं।

2. शक्तिशाली ए.आई. : इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यीकृत मनुष्य की बुद्धिमता होती है, जिससे कि समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क कर सके और उसका हल निकाल सके।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व बहुत है। ए.आई. में होने वाले विकास का बड़ा फायदा चिकित्सा क्षेत्र को मिल सकता है। ऑपरेशन जैसे कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी कारगर साबित हो सकता है। इससे कम समय में ज्यादा लोगों का इलाज संभव हो सकता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इलाज किया जा सकता हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरूपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा विनिर्माण और उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को होने वाला है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों से कई कंपनियों ने ए.आई. से जुड़े रिसर्च पर करोड़ों रूपये खर्च किए हैं। दरअसल, ए.आई. मशीन द्वारा गलतियों की गुंजाइश कम होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मशीनों को लंबे समय तक काम में लगाया जा सकता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन–देन में होने वाली अनियमितता, ट्रेडिंग पैटर्न पर निगरानी जैसे मामलों में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के रोजमर्रा के काम के लिए जैसे सफाई, इलेक्ट्रिसिटी के काम या कुकिंग आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। नए विकसित स्मार्ट शहरों और बुनियादी ढाँचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह जीवन को उच्च गुणवत्ता प्रदान कर सकता है। अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों द्वारा अब उत्पादन और निर्माण के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में ''द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018'' रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा। ऑटोमेशन (रोबोट क्रांति) के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की आशंका है, उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क जैसे व्हाइट कॉलर जॉब शामिल हैं। भारत में भी इसका प्रभाव नजर आने लगा है। उदाहरण के तौर पर देखें, तो कुछ भारतीय बैंकों द्वारा कार्यस्थल में ए.आई. मशीनों के इस्तेमाल के कारण इस क्षेत्र की नौकरियों में सात फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च रिपोर्ट में जी–20 के कुछ देशों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2035 तक 1.3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान बजट में भारत सरकार ने 5वाँ जेनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील भी की है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि ए.आई. का बाजार 153 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार को ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, जिससे शोध के साथ नई नौकरियों का सृजन भी हो सके। विश्लेषकों का मानना है कि ए.आई. का चिंतनीय पहलू यह है कि यह मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने या काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ए.आई. पर निर्भरता मनुष्यों के लिए ठीक नहीं होगी, साथ ही इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है कि अगर यह मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी तो उन पर नियंत्रण कौन कर पाएगा। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों पहलुओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। अतः इस संदर्भ में और ज्यादा शोध व अध्ययन की आवश्यकता है।

''भक्ति वह है जो ज्ञान उत्पन्न करती है व ज्ञान वह है जो स्वतंत्रता को गढ़ता है।''
– तुलसीदास

स्टेटस का ''स्टेटस''

श्रीमती सुनैना कुमारी
पत्नी श्री राजेश कुमार
नं. – 2
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सुजाता की माँ के घर पूजा थी, वो सुबह–सुबह ही अपने मायके आ गई थी। सुजाता का ससुराल और मायका ज्यादा दूर नहीं था। सुजाता की छोटी बहन कनक दो दिनों पहले ही जबलपुर से आ गई थी, जहाँ वह सरकारी विभाग में ऊँचे पद पर थी। भाई वरुण तीनों में सबसे छोटा था, जो Engineering का विद्यार्थी था। सुजाता अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन कनक के ऊँचे पद से उसे थोड़ी जलन होती थी। सुजाता ने भी अच्छी नौकरी पाने का बहुत प्रयास किया था, परंतु अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई थी।

पूजा के सारे काम निपटा कर सभी साथ में बैठे थे, कनक बहुत देर से फोन पर लगी हुई थी। कनक को मोबाइल में लगा देख माँ गुस्सा करने लगी, 'अरे ! अभी फोन चलाना जरूरी है क्या? इस डिब्बे को भी तो आराम करने दे"। "बस–बस हो गया" कनक ने कहा। "दीदी WhatsApp Status लगा रही है माँ, पटोला सिल्क साड़ी में दीदी ने बहुत सुंदर–सुंदर फोटो खिंचवाया है।' वरुण ने चुगली की। सुजाता अब तक चुप थी। वैसे तो वह शांत स्वभाव की थी पर अभी गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा "पता नहीं आजकल लोग क्या दिखाना चाहते हैं? हर छोटी–बड़ी चीजों को WhatsApp, Facebook में upload करेंगे, Show off करेंगे। अपने Status का दिखावा करेंगे। जीवन में खुशियाँ है, तो अपने पास रखो, पूरी दुनिया को जताना जरूरी है क्या?" कनक ने चुपचाप फोन रख दिया।

गाड़ी की आवाज ने सभी की आँखों को दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। घर के दामाद, सुजाता के पति रवीश बाबू आए थे। वो एक Private Company में काम करते थे, छुट्टी न मिलने के कारण पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे। रवीश बाबू के हाथ में मिठाई का बड़ा सा डब्बा था। जल्दी–जल्दी आने के कारण वो हाँफ रहे थे। रवीश बाबू डब्बे को टेबल में रख कर सोफे पर बैठ गए। सभी उन्हें और डब्बे को प्रश्न सूचक निगाहों से देखने लगे। रवीश बाबू ने एक लंबी साँस ली और मुस्कुराते हुए कहा "सुजाता का सत्यार्थी विश्वविद्यालय में Lecturer के पद पर चयन हो गया है"। सुजाता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह दौड़ती हुई पूजा वाले कमरे में गई और ईश्वर को धन्यवाद कहा। सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। सुजाता ने भी हाँथ में मिठाई लिया और अपने मोबाइल से एक प्यारी सी फोटो खींच कर WhatsApp Status में Upload किया और Comment में लिखा – "Lecturer Sujata"

हिन्दुस्तान में हिंदी सामान्य भाषा और अंतर्प्रान्तीय भाषा है तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिए जरूरी है। यह वह भाषा है जो भारत को इकट्ठा करके रखेगी और राष्ट्र को एक बनाएगी। – जवाहर लाल नेहरू

उन्माद...

एक बार चील के एक बच्चे ने अपने पिता से फरमाइश की, उसे मनुष्य के मांस का स्वाद लेना है। चील ने उसे समझाया कि मनुष्य बड़ा समझदार प्राणी है, उसका जीवन बड़ा कीमती है, ऐसे आसानी से मानव मांस मिलना दुर्लभ है वह यह जिद छोड़ दे। परन्तु बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। लाचार होकर पिता चील ने अपनी उड़ान भरी और मानव मांस की खोज में उड़ने लगा। काफी देर उड़ने के बाद भी वह इच्छित वस्तु न पा सका, उसकी निगाह एक जगह मरी हुई गाय पर पड़ी। वह मांस का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र के पास पहुँचा। पुत्र ने मांस खाकर तुरंत फेक दिया – पिताजी यह तो गाय का मांस है, आज मैं केवल मानव मांस खाऊँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा। पिता एक बार पुनः अपनी खोज में निकल पड़ा। काफी भटकने के पश्चात भी उसे मानव मांस दूर–दूर तक दिखाई नहीं पड़ा। इसी क्रम में उसे एक जगह सुअर का गोश्त नजर आया, उसने सोचा शायद इससे काम चल जाए। उसने एक छोटा सा मांस का टूकड़ा मुँह में दबाकर पुत्र के पास पहुँचा। पुत्र ने खाते ही पहचान लिया – यह तो सुअर का मांस है। पिताजी आज तो केवल मैं मानव का मांस ही खाऊँगा। मरता क्या नहीं करता। चील एक बार पुनः पुत्र की इच्छित वस्तु की तलाश में निकल पड़ा। परंतु उसे पता था कि ऐसे आसानी से उसे यह वस्तु नहीं मिलने वाली है। उसे एक युक्ति सूझी। उसने गोमांस के कुछ टुकड़े उठाए और उसे एक मंदिर के सामने फेक दिया। इसी तरह उसने सुअर के मांस के कुछ टुकड़े एक मस्जिद के सामने फेंक दिए। शाम होते ही सारे शहर में इंसानी लाशें बिछ गई। चील के बच्चे ने उस दिन जम कर अपनी मनचाही भोजन की दावत उड़ाई।

श्रीमती पूनम बरनवाल
पत्नी श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

चील को अपने अनुभव से यह भलीभाँति पता था कि भले ही इंसान कितना भी समझदार क्यों न हो परंतु जब वह आवेशित और उत्तेजित होता है, तो उसकी मानसिक अवस्था जानवरों से भी बदतर हो जाती है और ऐसे में सारी समझदारी भूल हैवानियत पर उतर जाता है।

प्रांतीय ईर्ष्या–द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। – सुभाष चंद्र बोस

प्रतिक्रियाओं का मानसिक प्रभाव...

उदयाचल के पिछले अंक में, "अभिभावकों की बच्चों से अपेक्षाएँ" में समझ चुके हैं कि कैसे ***"सकारात्मक थॉट्स बच्चे को नकारात्मकता की दुनिया से बाहर निकालकर अभिभावकों के विश्वास पर अच्छा करने का प्रयास की ओर प्रेरित करता है।"*** साथ ही, ''विचारों से व्यक्तित्व के निर्माण तक" विषय पर भी चर्चा की जा चुकी है कि ***"विचारों का सफर व्यक्तित्व के निर्माण तक चलता रहता है।"*** वस्तुतः बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण एवं बच्चों से अपेक्षाएँ हमारे विचारों के सकारात्मकता एवं नकारात्मकता पर निर्भर करता है। अर्थात् जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं भी वैसा ही होती हैं।

इसी के निरंतरता में, इस लेख का भी संबंध इससे है कि किस तरह हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्वयं के प्रति "विचारों की प्रतिक्रियाएँ" करते हैं। विचारों के इन प्रतिक्रियाओं को "प्रत्यक्षीकरण" कहते हैं ।वास्तव में ये विचारों का प्रत्यक्षीकरण है क्या? क्या होता है इसमें? कैसे हम इसको कर सकते हैं? किसको करना होता है? .... आदि। ऐसे बहुत सारे सवाल इन शब्दों को सुनकर आता है। वास्तव में प्रत्यक्षीकरण हमारे अंदर की प्रतिक्रियाएँ होती हैं'' – वह अनुभव होता है जो हम तुरंत करते हैं। हम देखते हैं कि ऑफिस में बहुत–से लोग हैं जो अपने–अपने कार्यों को कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क पर, बसों में, रिक्शा पर लोग सफर कर रहे होते हैं, वे चल रहे तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनके साथ प्रत्यक्षीकरण का भाव भी चल रहा होता है।

बस में भीड़ होती है – तो सीट पाने का प्रत्यक्षीकरण, लोगों को आगे ढकेलकर बढ़ने का प्रत्यक्षीकरण, एक–दूसरे को कुछ कह देने का प्रत्यक्षीकरण आदि। इन प्रत्यक्षीकरण के कारण हम खुद को परेशानी और चिंताओं से घेर लेते हैं और हमारे अंदर का विचार नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ करने लगती हैं।

श्रीमती राखी कुमारी
काउन्सलर – बाल सुधार गृह
पत्नी श्री मनोज कुमार
नं – 5
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

मैं एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि "सड़क पर दो लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। मैं भी उन्हीं के बगल से गुजर रही थी। सामने से एक महिला एक छोटी बच्ची को पीठ में गमछा से बाँधे हुए थी। सिर पर सामानों की गठरी थी। हाथ पकड़े पाँच साल का एक बच्चा लिए आ रही थी। उन दोनो व्यक्तियों ने उस महिला को देखा जिनमें से एक ने कहा," देखो वह महिला जो इधर आ रही है कितनी बेबस है। "जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा, "अरे यार, ऐसी महिलाएँ तो रोज तुम्हें दिख जाएँगी, जो अपने पति को छोड़कर इधर–उधर भटकती रहती हैं। "तो यह है उन दोनो के विचारों का प्रत्यक्षीकरण ।

दोनों ने सामने दिख रही महिला के प्रति अपने विचार दिये – वे जो देखना चाह रहे थे, उन्होंने वही देखा। उन्होंने उस महिला के छोटे से अंश को देखा। पूरी प्रकृति अर्थात् महिला, बच्चे, परिस्थितियाँ एवं स्वभाव को नहीं देखा। यदि वे अच्छे से देखे होते, तो शायद उनका प्रत्यक्षीकरण कुछ और होता। जब उस महिला से बात की गई तो पता चला कि वह अच्छे एवं सम्पन्न घराने से थी । उसके सामानों की चोरी हो चुकी थी, इसलिए थोड़े समय के लिये ऐसी परिस्थितियाँ आ गईं। साथ ही, उस महिला ने अपने अनुभव साझा किए कि इन परिस्थितियों में जब आई तो उन्हें औरों की परिस्थितियों का अनुभव हुआ। अर्थात् अचानक हम किसी चीज को देखते हैं, तो

हमारी प्रतिक्रियाएँ किसी एक बिन्दु को लेकर होती हैं। लेकिन यदि पूरी वस्तुस्थिति को देखें, तो हमारे विचारों की प्रतिक्रियाएँ अलग होती हैं।

हम अपने बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर हमारा बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, जैसे कि मोबाइल पर व्यस्त है, टी.वी. में व्यस्त है, कहीं बात कर रहा है या जब वह घर पर अकेले है, तो बच्चों के प्रति हमारा प्रत्यक्षीकरण भी ऐसा ही होता है। अचानक हम उसे देखते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं कि वह कुछ गलत कर रहा होगा। वैसी परिस्थिति में कुछ ऐसा बोल देते हैं, जो प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव होता है और जाने–अनजाने अपने बच्चों में भी अविश्वास की भावना को भर देते हैं और हम उसे वैसा ही बना देते हैं, जैसा कि हमारा विचार होता है क्योंकि तुरंत की गयी प्रतिक्रियाओं का असर नकारात्मक होता है।

हम कुछ भी देखते हैं तो उसे हमारी आँखें देखती हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, यह सब हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है – हमारी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक और हम अपने विचारों को किस ओर ले जा रहे हैं।

इस तरह से यह मानसिक भाव बच्चों के परवरिश में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी हम बच्चों / किशोरों को ऐसी परिस्थिति में देखें, जो दिखने में गलत लग रहा हो, तो हमें सावधानी के साथ नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हुए उस पर प्रतिक्रिया करें। ***ऐसे में तुरंत की गयी प्रतिक्रिया बच्चों में अविश्वास की भावना को बढ़ाती है, अतः तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करके थोड़ी देर रुकें, अपने आप को समय दें, पूरी वस्तुस्थिति को समझकर उसमें भी उसके सकारात्मक पहलुओं पर बात करके उसके व्यवहार के प्रति समझदारी विकसित करने का प्रयास करें। तो फिर वह वैसा ही करते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं।*** ऐसा करने से हम अपने बच्चों के दिमाग में सजगता का भाव ला सकते हैं, जो उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हम इतना तो कर सकते हैं

- हिंदी में हस्ताक्षर करें।
- हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दें।
- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें।
- हिंदी भाषा राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिंदी में पते लिखें।
- परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र, सूचना को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी (द्विभाषी) दोनों भाषाओं में जारी करें।
- मुलाकाती कार्ड, रबड़ स्टाम्प, नाम पट्ट, अर्ध शासकीय पत्र शीर्ष दोनों भाषाओं (हिंदीं और अंग्रेजी) में बनवाएँ और उसका प्रयोग करें।
- विभाग के सभी कंप्यूटरों पर बहुभाषी शब्द–संसाधक यूनिकोड लोड करें।
- फाइल कवर, स्टेशनरी आदि पर कम्पनी का नाम द्विभाषा में ही दें।
- हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें।
- उपस्थिति विवरण, जन्मदिन, बधाई–पत्र प्रपत्र भरना इत्यादि काम हिंदी में करें।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें।
- हिंदी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार–पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएँ।
- हिंदी कार्ड की सहायता से छोटी–छोटी टिप्पणियाँ लिखने का प्रयास करें।
- फाइलों के ऊपर विषय हिंदी–अंग्रेजी में लिखें।
- अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें।

– साभार – हिंदी प्रकोष्ठ

राष्ट्रभाषा सर्वसाधारण के लिए जरूरी है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है।
– लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

चार पत्नियाँ...

महात्मा बुद्ध के अनुसार किसी व्यक्ति की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार पत्नियाँ होनी चाहिए।

एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसकी चार पत्नियाँ थीं। यह उस दौर की बात है, जब भारत में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियाँ रखने की इजाजत थी। उसका जीवन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियाँ भी अधिक दूर नहीं थीं। वह काफी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक न होने की कगार पर आ गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय बेहद नजदीक है। इस बात का आभास होने पर वह काफी अकेला और उदास रहने लगा।

लेकिन तब उसने हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी से एक प्रश्न किया– "प्रिय, मेरी मृत्यु काफी नजदीक है, बहुत जल्द मैं अपना शरीर त्यागकर संसार से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन मैं अकेले ही यह सफर तय नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और अब भी करता हूँ, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी, जहाँ भी मैं जाऊँ? " इस बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की पत्नी खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति के प्रश्न का उत्तर दिया– "स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का समय आ गया।" ऐसा कहते हुए पहली पत्नी ने अपने पति से विदा ली।

अब उदास पति अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुँचा। उससे भी उसने यही सवाल किया और कहा – "क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी ?" उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के इस सवाल का जवाब दिया और कहा– "जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से मना कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ ?'' ऐसा कहते हुए वह भी वहाँ से चली गई। अब वह व्यक्ति बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। मौत के बेहद करीब खुद को पाकर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया, जो उसने अपनी पहली और दूसरी पत्नियों से किया था। लेकिन उससे भी इनकार के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ।

अब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया। अब तक वह सारी उम्मीदें खो चुका था, इसलिए अपनी चौथी पत्नी से वही सवाल करने की हिम्मत न कर सका। वह चुपचाप अपनी चौथी पत्नी को देखता रहा, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आखिरकार उसने वही सवाल किया– "क्या मरने के बाद मैं जहाँ जाऊँगा, वहाँ तुम मेरे साथ चलोगी ? क्या मरने के बाद भी तुम मेरा साथ दोगी? ''इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज में बेहद हिचकिचाहट थी। लेकिन इस बार उसकी अपेक्षाएँ काफी कम हो गई थीं। किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया– "स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। आप जहाँ मुझे लेकर जाना चाहें, मैं आपका साथ दूँगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेकर ही जाएँ।''

श्रीमती आरती पाठक
पत्नी श्री बालमुकुन्द पाठक
लेखापरीक्षक

इस कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध ने अंत में कहा कि हर पुरुष एवं महिला के पास चार पत्नियाँ एवं चार पति होने चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई चार पत्नियों को गौतम बुद्ध ने जीवन के एक खास पहलू के साथ जोड़ा है। गौतम बुद्ध के अनुसार कहानी में पहली पत्नी हमारा 'शरीर' है, जिसे हम कभी भी अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता।

दूसरी पत्नी है हमारा 'भाग्य', मृत्यु के बाद कैसा भाग्य! मृत्यु ही तो अंत है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं – यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है, वह एक नई शुरुआत ही है। इसलिए हम अपने भाग्य को कभी साथ नहीं ले जा सकते।

कहानी में तीसरी पत्नी से तात्पर्य है 'रिश्ते'। महाभारत में श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी संबंध नहीं रहता। आत्मा किसी की नहीं होती, जब तक उसे नया शरीर न मिल जाए, उसका कोई सगा–सम्बन्धी नहीं होता।

''प्यार की भूख को दूर करना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है।'' – मदर टेरेसा

इस बात को श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के गम में उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तब श्रीकृष्ण ने उसे स्वर्ग में भेजा, जहाँ उसने अभिमन्यु को देखा। पुत्र को आँखों के सामने देखते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो गया और उसे गले से लगा लिया। लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारा और सवाल किया कि 'तुम कौन हो"? तब श्रीकृष्ण ने समझाया कि वह अभिमन्यु नहीं, मात्र एक आत्मा है। जिसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता था, जब तक वह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के शरीर में थी। अब नया शरीर मिलने तक यह आत्मा किसी की नहीं कहलाएगी।

गौतम बुद्ध की कहानी के अनुसार तीसरी पत्नी जो कि व्यक्ति के रिश्ते को दर्शाती है, वह उसके साथ नहीं जा सकती। अब अगली बारी है चौथी पत्नी की, जो आखिरकार साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गौतम बुद्ध के अनुसार चौथी पत्नी है हमारे 'कर्म'। यह एकमात्र ऐसी चीज है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। हमारे पाप–पुण्य का लेखा जोखा दिलाती है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा, नर्क प्राप्त होगा या फिर नया जीवन, यह हमारे कर्मो पर ही निर्भर करता है।

बुद्धिमत्ता...

सुश्री निष्ठा पाठक
पुत्री श्री बालमुकुन्द पाठक
लेखापरीक्षक

आइंस्टीन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टीन से कहा – ''सर, मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर भाषण को याद किया है।'' आइंस्टीन हैरान ! उन्होंने कहा– ''ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते। ऐसा कीजिए, इस बार आप मेरे स्थान पर वहाँ बोलिए और मैं ड्राइवर बनूँगा।"

ऐसा ही हुआ। बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर–शोर से तालियाँ बजाई। उस समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा – "सर, क्या आप उस 'सापेक्षता' की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं?'' असली आइंस्टीन ने खतरे को भाँपते हुए सोचा कि इस बार ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए ! ड्राइवर ने जवाब दिया– ''क्या इतनी आसान बात भी आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए – वह आपको समझाएगा।

नोट : "यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं, तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे और मूर्खो के साथ ही सदा उठेंगे–बैठेंगे, तो आपका मानसिक तथा बुद्धिमता का स्तर और सोच भी उन्हीं की भाँति हो जाएगी।''

हिंदी हमें अपनी धरती और संस्कृति से जोड़ती है।
– राजभाषा विभाग

भारत में मृत्युदंड - एक अध्ययन

सुश्री श्रुति झा
पुत्री – श्री संजीव कुमार झा
निजी सचिव

मृत्युदंड भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की एक मूलभूत पहलू है, और बढ़ते मानवाधिकार आंदोलन के कारण इसके उपयोग को अनैतिक माना गया है। हत्या, राजद्रोह, आगजनी और बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के लिए विश्व स्तर पर मृत्युदंड का उपयोग किया गया है। प्राचीन ग्रीस में, इसका अकसर अभ्यास किया जाता था, जबकि रोमन भी इसका इस्तेमाल विभिन्न अपराधों के लिए करते थे। प्रतिवर्ष 1000 से अधिक फाँसी के साथ चीन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला देश है। ईरान, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे अन्य देश अवैध नशीली दवाओं के कब्जे के लिए मौत की सजा लागू करते है। संयुक्त राज्य अमेरिका मृत्युदंड की अनुमति देता है, हर साल औसतन 75 व्यक्तियों को फांसी दी जाती है।

दूसरों के विरूद्ध जघन्य कृत्यों के लिए अपना सिर खोने की चरम सजा को मृत्युदंड कहा जाता है। गंभीरता में अंतर के बावजूद, मृत्युदंड अभी भी कुछ अपराधों पर लागू होता है।

भारत में मृत्युदंड के इतिहास को निम्निलिखित श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है –

हिंदू कानून: सभ्यता की शुरूआत से ही मृत्युदंड समाज का एक मूलभूत घटक रहा है। हिंदू समुदाय ने मौत की सजा और निर्वासन को सजा और निवारण के मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया है। हिंदू न्यायिक प्रणाली ने मृत्युदंड को क्रूर नहीं माना, बल्कि समाज पर कठोर प्रभाव डालने के लिए इसे यातना में बदल दिया।

कालिदास, रामायण, महाभारत, बृहस्पति, कात्यायन, अशोक और कौटिल्य सभी ने मृत्युदंड की वकालत की। हिंदू आपराधिक न्याय प्रणाली समाजिक सुरक्षा और गैर–सुधारवादी दर्शन से काफी प्रभावित है। मनु स्मृति और कौटिल्य के लेखन में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मृत्युदंड के महत्त्व पर जोर दिया गया है।

मुस्लिम और मुगल कानून के तहत मौत की सजा कुरान, हदीस, इज्मा, 'उर्फ मसालिह अल–मुर्सला और कियास पर आधारित है। कुरान मानव जीवन लेने की वैधता को अस्वीकार करता है, इसे उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से अल्लाह के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा लेने की अनुमति देता है। मुगल साम्राज्य, जिसका भारत के मध्युगीन इतिहास पर प्रभुत्व था, कुरान के कानूनों का पालन करता था और मनमाने दंड लगाता था। अकबर ने सहिष्णु विचार रखते हुए तर्क दिया कि मृत्युदंड केवल राजद्रोह के चरम मामलों में और सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। मृत्युदंड क्रूर ओर पीड़ादायक तरीकों का उपयोग करके दिया जाता था, जैसे सूरज की रोशनी में या कैदियों को दीवारों में कीलों से ठोकना। समकालीन ब्रिटिश आपाराधिक न्याय प्रणाली ने इन युक्तियों को पार कर लिया है।

1931 में, श्री गया प्रसाद सिंह ने भारतीय दंड संहिता अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, प्रस्ताव पराजित हो गया। गृह मंत्री सर जॉन थॉर्न ने मृत्युदंड पर सरकार का रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे विवेकपूर्ण नहीं माना जाता है। 1860 की भारतीय दंड संहिता और 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता औपनिवेशिक युग के कानून थे जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया था।

भारतीय आपराधिक कानून सजा के सुधारवादी और निवारक विचारों पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता 1860 में मौत की सजा वाले कई अपराध शामिल हैं, जिनमें भारत के खिलाफ युद्ध, विद्रोह को कम करना, झूठे सबूत, हत्यारों, नाबालिकों को आत्महत्या करने में सहायता करना, अपहरण और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 शामिल हैं। ऐसे बलात्कारों के लिए मृत्युदंड के लिए प्रावधान है जो पीड़िता को मृत या लगातार निष्क्रिय अवस्था में छोड़ देते हैं, बार–बार बलात्कार करने वाले अपराधियों और हत्या और डकैती। सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी मनगढंत साक्ष्य के लिए मृत्युदंड का आदेश देते हैं। एक अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य की सजा और फांसी।

परीक्षण के बाद, निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। दोषी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं या राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के पास 'दया याचिका' दायर कर सकते हैं। 1935 का भारत का

सरकार अधिनियम राष्ट्रपति और राज्यपालों को संवैधानिक दया शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनके पास विशेषाधिकार क्षमादान शक्तियाँ नहीं है।

भारत में, 'दुर्लभतम परीक्षण' का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, जैसा कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया है। मृत्युदंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है, जैसे भीषण, घृणित या घृणित हत्याएं, अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ सामाजिक आक्रोश, दहेज हत्या, या बड़े पैमाने पर अपराध। 'दुर्लभ से दुर्लभतम कहावत' सीआरपीसी की धारा 354 में प्रावधानों को लागू करने में एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है, जो इस नीति को स्थापित करती है कि आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद हे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, और मौत की सजा लागू होने पर नए साक्ष्य या कानूनी मिसालों का उपयोग प्रतिबंधित है। एक बार लागू होने के बाद जुर्माना अंतिम होता है।

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सभी के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार के बावजूद, राज्य के पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अधिकारों को सीमित करने या रद्द करने की शक्ति है। हालांकि, मौत की सजा केवल सबसे जघन्य अपराधों के लिए सजा है, और यह सभी अपराधों के लिए सजा नहीं है। मृत्युदंड की संवैधानिकता को विभिन्न मामलों में चुनौती दी गई है, जिनमें जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973), राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979), दीन दयाल बनाम भारत संघ (1983), मिठू बनाम शामिल हैं। पंजाब राज्य (1983), मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983), संतोष कुमार सतीशभूषण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009), और अजमल कसाब बनाम सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे जैसे मामलों में मौत की सजा को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय, मुकेश और अन्य। बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), और मुकेश और अन्य, बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)। मृत्युदंड का प्रयोग कभी–कभी ही किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने चार कैदियों के लिए मृत्युदंड को बरकरार रख है। इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' बताया है और कहा है कि किया गया अपराध मानव जाति के लिए घृणित था।

सुधारात्मक दंड की विफलता और गलत कार्य दरों में वृद्धि के कारण भारत मृत्युदंड के उपयोग पर दृढ़ है। मृत्युदंड को समाप्त करने या गैरकानूनी घोषित करने के लिए संयुक्त महासभा का वोट भारत की कानूनी प्रणाली के साथ टकराव है। मृत्युदंड केवल हत्या, बाल आत्महत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में ही लागू किया जाता है। भारत के वर्तमान संदर्भ में मृत्युदंड को समाप्त करने का कोई मतलब नहीं होगा, जहां अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सिद्ध दोषी मामलों में मृत्युदंड को अधिक बार लागू करने से अपराध हतोत्साहित होगा, क्योंकि इसे जेल में जीवन की तुलना में अधिक भयानक सजा के रूप में देखा जाता है।

भारत में राजशाही युग से ही मृत्युदंड, जिसे मृत्युदंड भी कहा जाता है, लागू है। यह कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए सबसे लोकप्रिय सजा है, लेकिन अब इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामले, 'विशेष कारण', 'गंभीर अपराध', और 'गंभीर अपराध' माना जाता है। मृत्युदंड एक संवेदनशील विषय है, जिसका वैश्विक प्रतिरोध हो रहा है और कई देश इसे हटा रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फांसी की निंदा की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी कानून हत्या और बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए मौत की सजा लागू करते हैं। विधि आयोग ने भी आतंकवाद को छोड़कर मृत्युदंड के विरूद्ध वकालत की। पिछले 20 वर्षों में, भारत ने आतंकवादी कृत्यों और बलात्कार के मामलों सहित पाँच फांसी की सजा का अनुभव किया है।

मृत्युदंड को प्रतिशोधात्मक और निवारक दंड माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि यह नैतिक अधिकरों का उल्लंघन करता है और निवारक के रूप में अप्रभावी है। डेथ वारंट केवल सबसे असाधारण मामलों में ही जारी किए जाते हैं, और मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने से देश अधिक जोखिम में पड़ जाएगा।

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता।
– आचार्य विनोबा भावे

फालतू आदमी

श्री इन्द्र कुमार झा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

मणिलाल जी केन्द्रीय कार्यालय में बड़ा बाबू थे। वे बहिर्मुखी स्वभाव के थे। लोगों से मिलने–जुलने और सबकी समस्याओं को सुलझाने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। विभागीय परीक्षा पास करने के बाद वो ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए तो भी उनका ये स्वभाव विद्यमान ही रहा। नये आगुंतकों को अपने पैसे से कैंटीन से चाय मंगवाकर उससे सत्कार कर ही भेजते थे। उनकी व्यवहार कुशलता ऐसी थी कि लोगों का काम कराकर ही भेजते थे। कुछ सहकर्मी उन्हें कहते थे कि आप अपने को बहुत शक्तिशाली कहते हैं तो उनका कहना रहता था कि अगर मुझे लोगों को अपने बारे में शक्तिशाली कहना पड़े तो समझिए कि मैं शक्तिशाली हूं ही नहीं।उनका एक ही पुत्र था जिसे उन्होंने मां बाप दोनों को प्यार दिया था। उन्हें अपने पुत्र के भगवान राम और मेघनाद जैसे आज्ञाकारी होने का गुमान था। मेघनाद को श्रीराम–रावण युद्ध में जब उसकी मां ने पिता को छोड़कर भगवान की शरण में जाने को कहा था तो उसने जबाव दिया कि पिता के लिए सब कुछ छोड़ने की बात तो मैंने भगवान राम से ही सीखी है और श्रीराम तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ वनवासी हो गये थे। खैर मणिलाल जी का रिटायरमेंट का दिन पास आ गया। सहकर्मी और लोग उनसे बाद का सेवानिवृत्ति के बाद का समय कटने के बारे में पूछते। वे कहते कि अभी रिश्तेदारों के यहां दो महीने घूम–फिर कर तुरंत बेटे की शादी कर देनी है। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से बेटे के एक लिये बढ़िया दूकान खोलनी है और मैं तो घर पर रहकर ही आराम करुंगा। अब बूढ़ी हड्डियों में दम कहाँ बचा। साथी कहते कि कहीं किसी विभाग में नौकरी करिये क्योंकि घर बैठे मन नहीं लगेगा। मणिलाल जी कहते कि बेटे–बहू को मेरा बुढ़ापे में नौकरी करना अच्छा नहीं लगेगा। खैर मणिलाल जी सेवानिवृत्त हो गये। उन्होंने बेटे की शादी तुरंत करा दी और एक जेनरल स्टोर खुलवा दिया। बेटा दूकान पर बैठने लगा। कुछ ही दिन बाद बेटे–बहू की बात उन्होंने कमरे से सुन लिया।बहू कह रही थी, 'बूढ़ा केवल घर बैठकर रोटी तोड़ रहा है। आप कितने खटते हैं। हमलोगों का घूमना–फिरना भी बन्द हो गया है। दूकान में एक आदमी रख लीजिए मगर वो कैसा होगा? आप बाबूजी को दूकान पर बैठने क्यों नहीं कहते? बेटा कह रहा था कि मैं लिहाज के मारे नहीं कह पा रहा हूँ। मणिलाल जी को तो यह सुनकर पांव तले धरती खिसक गयी। वे तो एल. टी .सी. में भी बेटे के लालन–पालन के कारण बहुत बाद में उसके साथ ही एकाध बार ही जा सके थे। दूसरे ही दिन उन्होंने बेटे–बहू से कहा, 'मुझे घर बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी कुछ देर दूकान पर बैठने दो। इस पर बेटा बोला कि अगर आपको यही मन है तो ठीक है। दूसरे ही दिन से मणिलाल जी का दूकान पर ही ज्यादा समय बीतने लगा। दुकानदारी सीखने के बाद बेटे–बहू बाहर घूम भी आये। तबियत खराब होने पर भी इन्हें रोज दूकान जाना पड़ता क्योंकि बेटा रोज फोन कर उनके बदले दुकान का ही खबर लेता। अब उनके दोस्त जो घर पर फोन करते तो वे हमेशा घर पर ही मिलते थे। अब दोस्तों के फोन करने पर घर से जबाव मिलता कि बाहर गये हुये हैं या अभी घर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने अपने बेटे बहू को अपने दोस्तों को उनके दुकान जाने की बात नहीं कहने को कहा था। दुकान पर भी नया नंबर ले लिया था जो सिर्फ घर वाले ही जानते थे। आखिरकार उनके पुराने दोस्तों ने पड़ोसियों से उनके दुकान का पता जान ही लिया और चुपके से उनके दुकान पहुंच ही गये। मणिलाल जी ने सभी दोस्तों को चाय पिलाई। सेवा काल में हमेशा हंसमुख स्वभाव वाले मणिलाल जी दोस्तों को देखकर अर्से बाद मुस्कुराये जरुर परन्तु अपने आंसू को छिपाते रहे और बनावटी हंसी चेहरे पर लाते रहे। दोस्तों के कुरेदने पर आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और वे आंसुओं से सराबोर हो गये। कुर्सी पर बैठे हुए उनके रीढ़ की हड्डियों में दर्द उभर आया था। उन्होंने कहा, 'अब मैं घर वालों के लिए फालतू आदमी हो गया हूँ। सब किस्मत का फेर है। अच्छे संबंधी, रिश्ते नाते होना कर्मो का फल है 'अब मणिलाल जी निरीह प्राणी लग रहे थे और कर्मवाद पर जोर देने लगे थे।

"जितना अधिक आप उनमें अच्छाई देखेंगे, उतना ही आप अपने आप में अच्छा स्थापित करेंगे।" – परमहंस योगानंद

आत्मानुभूति

1. प्रथम गलती – अनुभव।
   द्वितीय गलती – नादानी।
   तृतीय गलती – मूर्खता।
   तदनंतर गलती – मतिमंदता।

2. जब आप किसी को सही ज्ञान देते हैं, तब आप उसकी अज्ञानता से प्राप्त सुविधाओं से वंचित होने का जोखिम मोल लेते हैं।

3. अपनी पसंद को सही ठहराने की बजाए सही चीजों को अपनी पसंद बनाने की चेष्ठा करना ही श्रेयस्कर है।

4. सामान्य व्यक्ति और महान व्यक्ति के बीच का अंतर बस इतना है कि जहाँ एक सामान्य व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी मनः स्थिति बदलता रहता है जो उसके व्यावहारिक स्थिति को संचालित करता है, वहीं एक महान व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में विचलित न होते हुए, मनः स्थिति पर नियंत्रण रख कर अपनी व्यवहार स्थिति तय करते हैं।

5. हमारे अधिकांशतः संसाधन मोटर वाहन के अतिरिक्त पहिए स्टेपनी की तरह है, जो विरले ही प्रयुक्त होते हैं, पर उन्हें हम आकस्मिक खतरों की आशंका में जीवन भर ढ़ोते रहते हैं।

6. अधिकांश विचार समुद्र में उठने वाली लहरों के समान हैं, जिसकी निरर्थकता से जीवन की नौका डगमगाती रहती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके प्रभाव को कम से कम किया जाए और इनकी उत्पत्ति को शून्यता की हद तक ले जाया जाए।

7. मानव मन पहले अपने आपको एक छद्म खूँटे में बांधता है और उसके बाद उससे छूटने की छटपटाहट में लग जाता है।

8. जीवन स्वयं को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले जाने की चेष्टा का ही दूसरा नाम है।

श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

9. एक सामान्य व्यक्ति किसी घटना का आकलन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में करता है, वही एक विवेकशील मनुष्य इसे पूर्व की स्मृतियों से जोड़ कर भविष्य में होने वाली घटनाओं के सबक के रूप में समझने की चेष्टा करता है।

10. अनैतिक रूप से अर्जित धन को अविवेकपूर्ण तरीके से लुटाकर, दूसरों को कंजूस कहने का सुख लेनेवाले कभी यह नहीं समझ सकते कि नैतिकता और सदाचार का महत्त्व जानने में उन्होनें जो कंजूसी दिखाई है, उसके दुष्परिणाम जन्मों–जन्मों तक चुकाने पड़ेंगे।

भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है।
– प्रेमचंद

भोजन की बर्बादी

अन्न ही जीवन है, इसका मान करें।

अन्न ही ईश्वर है, इसका सम्मान करें।।

मनुष्य जीवन के लिए भोजन, जल और वायु अनिवार्य घटक हैं। जल और वायु तो हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु भोजन के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। आदिकाल में मानव भोजन प्राप्ति के लिए शिकार व जंगल के फल–फूलों पर पूर्णतः आश्रित था। आज मानव ने भौतिक रूप से बहुत तरक्की कर ली है, तथापि, अभी भी पूरी दुनिया में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी से पीड़ित है। लेकिन, समाज के तथाकथित समृद्ध लोग भोजन की बर्बादी को अपने जीवन का शान समझ बैठे हैं।

भोजन को फेंकने की आदत पूरी दुनिया में एक अपसंस्कृति बन गई है। विकसित, विकासशील और अविकसित सभी तरह के देशों में भोजन की निर्मम बर्बादी होती है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में अपशिष्ट भोज्य पदार्थो की बर्बादी दोगुनी हो सकती है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही अन्न का विशेष महत्त्व रहा है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो हमारे यहाँ भोजन का अर्थ केवल पेट भरना नहीं रहा है, बल्कि अन्न को सम्मान देने की भी परंपरा रही है। किंतु,प्रायः यह देखा गया है कि घरों में ही नहीं बल्कि बाहरी कार्यक्रमों में भी जैसे– विवाह, जन्म–मरण आदि समारोहों में भोजन की खूब बर्बादी होती है। इस प्रकार, इस प्रवृत्ति से कहीं न कहीं 'भोजन का अधिकार' प्रभावित हो रहा है। नतीजतन कुपोषण और भूखमरी बढ़ी है।

आँकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग घातक बीमारियों से नहीं मरते हैं, उससे कहीं अधिक लोग भूख से मर जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा अन्न की निर्मम बर्बादी की वजह से दुनिया भर में भूख जनित समस्याएं तथा भूखे लोगों की संख्या तेजी से बढी है। यह सोचने का विषय है कि क्या भोजन की बर्बादी पर बिना अंकुश लगाए तथा कुपोषण और भूखमरी जैसी बुनियादी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं से निपटे बिना भारत विकसित व ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा।

शादियों, उत्सवों तथा त्योहारों में आवश्यकता से अधिक भोजन अपनी थाली में लेना और उसे आधा–अधूरा खाकर छोड़ना फैशन बन चुका है। भोजन की बर्बादी सामाजिक और नैतिक अपराध है। लेकिन, अन्न की बर्बादी करते वक्त हम उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। भोजन की बर्बादी करते वक्त हम यह भी नहीं सोचते कि अन्नदाताओं ने इसे कितनी मेहनत से उपजाया है। हम इस पर भी सोचना–विचारना जरूरी नहीं समझते कि भोजन के जिस हिस्से को हम आसानी से थाली में छोड़ देते हैं या कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उससे केवल अनाज की ही बर्बादी नहीं होती, अपितु उसमें विद्यमान ऊर्जा, कार्बन, जल और पोषक तत्वों का भी अपमान माना जाता है। ऐसे कई देश हैं जहाँ भुखमरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है। हमारे देश भारत में अन्न को भगवान माना जाता है। हमारे देश की परंपराएँ कहती हैं कि–

श्रीमती नीलम देवी
पत्नी श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

अन्न–धन इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय,

मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाय।

लेकिन, आज के समय में सब एकदम उल्टा है। आए दिन खाने की इतनी बर्बादी देखकर दुख होता है। अगर भोजन की बर्बादी कम होती तो ऐसे पैसे की बचत ज्यादा होती और उसी पैसे से कई भूखे गरीब परिवार की मदद भी कर सकते हैं। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होनें वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और इसकी वजह से रोजाना कितने लोग भूखे ही मर जाते हैं। यह बहुत ही दुःखद समस्या है। कोई जानबूझकर, तो कोई अनजाने में ही सही भोजन की बर्बादी कर रहा है। शादियों में ज्यादा से ज्यादा भोजन की बर्बादी होती है। अत्यधिक भोजन आपकी थाली में परोसा जाता है और बदले में आप से वह खाया नहीं जाता है और अंत में वह बर्बाद किया जाता है। हमें खुद सोचना चाहिए कि भोजन बर्बाद होने से अच्छा कि भोजन को गरीबों में भिखारियों और जरूरतमंद लोगों में बाँट देना चाहिए और शादियों मे बचे भोजन को अपने पड़ोसियों को दे देना चाहिए, जिससे भोजन की बर्बादी भी ना हो और उसका उपयोग भी हो सके।

भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश की लिए यह समझना जरूरी है क्योंकि विवाह–शादियों, पर्व, त्योहारों एवं पारिवारिक समारोह में भोजन की बर्बादी देखने को मिल रही

है। भारतीय संस्कृति में जूठा खाना छोड़ना पाप माना जाता है। विश्व खाद्य संगठन एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का हर सातवां व्यक्ति भूखा सोता है। वर्ष 2022 में जारी विश्व भूख सूचकांक में भारत का 107वां स्थान है।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "मन की बात" में भोजन की बर्बादी का मुद्दा उठाया था। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हालाँकि,कड़वा सच यह भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है, जो भोजन की बर्बादी रोकने के काम आ सके। एक तरफ विवाह–शादियों, पर्व–त्यौहारों एवं पारिवारिक आयोजनों में भोजन की बर्बादी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर भूखें लोगों के द्वारा भोजन की लूट–पाट देखने को मिल रही है। दरअसल, भोजन की बर्बादी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

अन्य देशों में बेहतर स्थिति

भोजन और किराना उत्पादों के दान को प्रोत्साहित करने के लिये दुनिया के कई देशों ने कानून बनाया है। फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने यहाँ सुपर मार्केट द्वारा न बिकने वाले फलों, सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थो को नष्ट करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। और तो और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस मोर्चे पर हमसे ज्यादा प्रगतिशील है। पाकिस्तान में कानून है कि शादी या अन्य समारोहों में एक से ज्यादा मुख्य व्यंजन नहीं परोसा जा सकता। भोजन की बर्बादी रोकने की दिशा में दुनिया के कई हिस्सों में सरकारी नीतियों और जागरूकता के जरिए अनुकरणीय पहल की जा रही है. ऑस्ट्रेलिया सरकार भोजन की बर्बादी रोकने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा खासा निवेश कर रही है, ताकि अन्न की बर्बादी कम से कम हो। चीन ने भोजन की बर्बादी में अंकुश लगाने के ले अपने देश में ऑपरेशन इम्प्टी प्लेट की नीति लागू की। फ्रांस और इटली जैसे देशो में बिना बिके भोजन को दान देने पर जोर दिया गया है। भारत की ही बात करें तो यहाँ कई संस्थाओं ने आगे आकर रोटी बैंक की शुरूआत की है। यह बैंक शहरों में भोजन को जरूरतमंदो के बीच बाँटने का काम करती है। यह एक अच्छी और अनुकरणीय पहल है।

कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि अगर थाली में झूठन न छोड़ी जाए, तो यह कितने गरीबों का पेट भर सकता है। हालांकि इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ देश मे गरीब लोग दाने–दाने का मोहताज है, तो दूसरी तरफ लोगों में भोजन की बर्बादी करने में लगे हुए हैं।

शास्त्रों में भोजन की बर्बादी को पाप का दर्जा दिया गया है और इस प्रवृत्ति को मानवता के खिलाफ कृत्य माना गया है। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है कि जहाँ अन्न का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। बावजूद इसके भोजन की बर्बादी को लेकर सजग नहीं है। लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि भोजन के जिस हिस्से को वह कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, उससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की भूख भी मिट सकती है।

हालांकि नागरिकों में सामाजिक चेतना जागृत करके ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। भोजन की बर्बादी रोकना कोई कठिन कार्य नहीं है। हम अपने विचार को विस्तृत कर तथा आदतों में बदलाव लाकर भोजन की बर्बादी रोक सकते है।

भोजन की बर्बादी का कारण

भारत में बढ़ती समृद्धि के साथ लोग भोजन के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ ही लोगों में भोजन फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

आज कई मध्यवर्गीय परिवारों में भोजन पर व्यर्थ व्यय करने का चलन बढ़ा है नतीजतन उनका बजट बढ़ा है।

समाज में दिखावेपन के कारण शादियों, त्योहारों या महोत्सवों में भोजन की बर्बादी सामान्य बात हो गई है।

आम तौर पर दो प्रकार के अपशिष्ट होते हैं पहला जो लोग प्लेट में बिना खाए भोजन छोड़ते हैं और दूसरा जब उम्मीद से कम व्यक्ति पार्टी/भोज में खाने के लिए आते हैं।

भोजन की बर्बादी रोकने के लिए हमें खुद पर ध्यान देने की जरूरत हैं और कुछ बातों का ध्यान रखने से भोजन न के बराबर ही बर्बाद होगा।

1. उतना ही खाना बनाए या बनवायें जितने भोजन की आवश्यकता हो।
2. घर से बाहर जाते समय वही सामान लाए जिसकी जरूरत हैं, थोक मे लाने से बचें।
3. बचे हुए खाने को सुरक्षित रखें और उसे ही खाए।
4. घर मे रखी हुई हरी सब्जियाँ और पत्तेदार सब्जियों को खराब होने से पहले बना लेना चाहिए।
5. यदि खाना बच जाए तो उसे पालतू जानवरों को दे देना चाहिए।

6. जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं बनाना चाहिए।
7. शादी ब्याह के समारोह में भी आमंत्रित व्यक्तियों की सूची बनाकर उतना ही भोजन बनाया जाना चाहिए।
8. सब्जियों और फलों को जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए।

शादियों में अधिक–से–अधिक व्यंजन परोसने के नाम पर होने वाली फिजूलखर्ची एक परम्परा सी बन गई है जो कि एक अवांछनीय कृत्य है। लोग, शादियों पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।नतीजन गरीब परिवारों पर अधिक खर्च करने का सामाजिक दबाव बढ़ता है।इस परम्परा पर रोक लगाई जानी चाहिये।

नए भारत के विजन में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पोषण को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा 'कम खाओ, सही खाओ अभियान' के महत्त्व को स्वीकार किया गया है ताकि अन्न की बर्बादी को कम करके देश से भुखमरी और कुपोषण की समस्या को पोलियो की तरह मुक्त किया जा सके।

आज के युग में भोजन की बर्बादी कई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं जिनका वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है–

1. भोजन के अपव्यय से जल, जमीन और जलवायु के साथ–साथ जैव–विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है।
2. भोजन की बर्बादी का नुकसान सर्वव्यापी होता है। भोजन की बर्बादी दुनिया के करोड़ों बच्चों के कुपोषण के लिये जिम्मेदार होती है। पोषण के अधिकार का बाधित होना, बच्चों की शिक्षा और आगे चलकर आजीविका के अधिकार को बाधित करता है।
3. खाद्य पदार्थों की बर्बादी, मानव अस्तित्व के लिये जरूरी 'भोजन के अधिकार' के समक्ष भी चुनौती पेश कर रही है, दरअसल भोजन की बर्बादी विश्व के करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा करती है।
4. घरों के चारों ओर फेंके गए भोजन से जो गंध उत्पन्न होती है, उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो कि प्रमुख प्रदूषणकारी गैस है।

निष्कर्ष :

कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को मिलकर भोजन की बर्बादी रोकने के लिये सामाजिक स्तर पर जागरुकता लानी होगी तभी भोजन की बर्बादी को रोकने का अभियान सफल हो पायेगा। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है।देश की महिलाएँ अन्न की बर्बादी को रोकने में ज्यादा कारगर भूमिका अदा कर सकती हैं उदाहरण के तौर पर महिलाएँ अगर बच्चों में बचपन से यह आदत विकसित करें कि वे भोजन की बर्बादी न करें, तो अन्न की सुरक्षा के प्रति बच्चों की जवाबदेही बढ़ सकती है।

आज कई शहरों में समाजसेवी लोगों ने मिलकर रोटी बैंक बनाया है। रोटी बैंक से जुड़े कार्यकर्ता शहर में लोगों के घरों से व विभिन्न समारोह स्थलों से बचे हुये भोजन को एकत्रित कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे जहाँ भोजन की बर्बादी रूकती है, वहीं जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध होता है। इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसार देश के हर हिस्से में प्रसारित करना चाहिए।

भारतीय संस्कृति में अन्न को भगवान का दर्जा दिया गया है लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि थाली में भोजन छोड़ने को फैशन समझ बैठे हैं।सरकार को भी शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार करना चाहिये।

हाल ही में, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारत के सभी नागरिकों को 'कम खाओ, सही खाओ'मुहिम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा कि आज हमें एक भी दाना बर्बाद नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए तथा अपने स्तर पर और अपने संस्थानों मेंखाद्य सुरक्षा में योगदान देना सुनिश्चित करना चाहिए। इससे गरीबी, भूख और कुपोषण को जड़ से मिटाने में मदद मिलेगी। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में निर्देश देते हुए कहा है कि सभी वैवाहिक स्थल, होटल, और फार्म हाउसों में होने वाली शादी–समारोहों में भोजन की बर्बादी को रोका जाना चाहिए।

आँख के बदले आँख ही पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। – महात्मा गांधी

माँ और मातृभाषा

विदेशी भाषा किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा का भाषा होना सांस्कृतिक दासता है

वाल्टर चेनिंग

2011 की भाषाई जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाएं हैं जो रोजमर्रा के काम काज में प्रयोग की जाती हैं। ये वह भाषाएं एवं बोलियां हैं जो मातृभाषा का दर्जा रखती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इनमे से अधिकांश सांस्कृतिक दासता का शिकार हैं।

वास्तव में भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। हम जो कुछ भी सोचते हैं अथवा जो कुछ भी हमारे अंतर्मन में उमड़ रहा होता है वह कहीं न कहीं शब्दों के रूप में होता है और शब्द किसी न किसी भाषा के होते हैं और भाषा वह जो हम चाहे अनचाहे हम सुनते रहे हैं क्योंकि भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा व्याकरण की नहीं बल्कि अनुकरण सीखी हुई होती है।

पर वर्तमान में हम भारतीयों के साथ ऐसा नहीं है विशेष रूप में हिंदी भाषी भारतीयों के साथ। ऐसा माना जाता है कि किसी के बच्चे के लिए परिवार ही प्रथम पाठशाला है, पर हिंदीभाषी क्षेत्रों में परिवार ही बच्चों को मातृभाषा से दूर रखे हुए हैं और जिसकी वजह से नई पीढ़ी में भावनाएं सुदृढ़ न हो कर बिखरी हुई हैं। जिसके कारण आज माता पिता में और बच्चों के बीच एक भावनात्मक दूरी देखने को मिलती है।

आज कल हिंदी भाषी परिवार में एक अजीब से प्रवृत्ति देखने को मिलती है वह प्रवृत्ति यह है कि उन्हें अपने कुल पर, अपनी सुन्दरता पर, अपनी बुद्धिमता पर, अपनी बिरादरी पर तो गुरुर है पर अपनी भाषा पर नहीं। उन्हे अपनी ही भाषा से डर लगता उन्हें लगता है कि उनकी भाषा उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है उन्हे लगता है कि उनकी भाषा रोजगार परक नहीं है उन्हें इस बात का डर है कि उनके बच्चे विदेशी भाषा नही सीखेंगे तो समाज उन्हें अशिक्षित समझेगा और परिणाम स्वरूप वो अपने ही बच्चे से अपनी भावना और अपनी भाषा जानबूझ कर छिपातें है वह रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले शब्दों का अनुवाद करते रहते हैं और बच्चों को भाषा की जगह अनुवाद सिखाते हैं। उसे बिल्ली को कैट, कुत्ते को डॉग कहना सिखाते हैं वह खुद गीतों और कविताओं, गजलों का शौक तो रखते हैं पर अपने ही बच्चों से कहते हैं कि साँग सुनाओ, पोयम सुनाओ। और इसका परिणाम यह होता है की न वह ढंग से गीत समझ पातें हैं न साँग। उन्हें बिल्ली को कैट कहने की आदत तो लग जाती है पर मातृभाषा की भावना से जुड़ी बिल्ली मौसी से दूर हो जातें हैं।

श्रीमती मधु कु० पाण्डेय
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

दरअसल परिवार के सदस्यों द्वारा सिखाए जाने पर हम बिल्ली को कैट कहना सीख जाते हैं पर जब भावनात्मक सुदृढ़ता की बात आती है तो हम पिछड़ जाते हैं यह ऐसा इसलिए होता है कि हम जब कुछ भी सोचते हैं तो वह आस पास आसानी से सुने जाने वाले शब्द होते हैं, वास्तव में मातृभाषा का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हालाँकि, जब माता–पिता द्वारा अपने बच्चों से दूसरी भाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो इस स्थिति में बच्चों के मन में भ्रम पैदा होता है और इसलिए, पहली और दूसरी भाषा में महारत हासिल करने में कठिनाई होती है और इस तरह जब खुद को आधुनिक या दूसरे शब्दों में कहें कि औपनिवेशिक भाषा वाले दिखाना चाहते हैं तो हमें अपने जेहन में ही एक कंट्रोल मॉड्यूल बनाना पड़ता है। जो आसानी से दो भाषाओं को वक्त के हिसाब से इस्तेमाल कर सके पर हर बार ये मड्यूल सटीक काम नहीं करता है और फिर हम अपनी भावनाओं को उस बारीकी से व्यक्त नहीं कर पाते जिस बारीकी से उस भावना को व्यक्त करना चाहिए था। दरअसल हर भाषा में बात करने का खास अंदाज होता है। मजाक करने से लेकर संजीदा बातें करने तक, हर भाषा का लहजा अलग होता है और अगर आप उस लहजे से दूर होते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को कम शब्दों के साथ या स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में दिक्कत आ सकती है।

खैर इन सब के बावजूद एक ही बात कही जा सकती है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल'

"अभ्यास का एक औंस एक हजार शब्दों के लायक है।" – महात्मा गांधी

वैज्ञानिक और विज्ञान

शाहिल कुमार यादव
पुत्र श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

मानव युग में वैज्ञानिक का स्थान सर्वोपरि है। वैज्ञानिक के बिना विज्ञान की परिकल्पना करना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। वे ज्ञानी और दूरदर्शी होते है। वैज्ञानिकों के आविष्कार का फैलाव चहुंमुखी है तथापि चिकित्सा विज्ञान में किए गए खोज व अनुसंधान मानव जीवन के लिए विशेष वरदान साबित हुआ है। वैज्ञानिक निःस्वार्थ भाव के होते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि मैं इस देश का हूं तो मेरे द्वारा किए गए आविष्कार का लाभ सिर्फ मेरे देशवासी का हो। विश्व के सारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया का भला चाहते हैं। वैज्ञानिकों का सृजन–शक्ति अपार होता है। भारत तथा विश्व के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम इस प्रकार है जिन्होंने पूरे विश्व को देदीप्यमान व आलोकित किया है – डॉ. सी.वी. रमन, श्री सत्येन्द्र नाथ बोस, श्री होमी जे. भाभा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, हरगोविन्द खुराना, विक्रम साराभाई, एम.एस. स्वामीनाथन, लुईस पाश्चर, गैलीलियो, मैरी क्यूरी, सर आईजेक न्यूटन, अल्बर्ट आइंसटीन, केपलर, स्टीफेन हावकिंग आदि।

वैज्ञानिकों के बारे में कहा जाता है कि वे एक सफल प्रयास प्राप्त करने के लिए असंख्य प्रयोग करते हैं। महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में एक कहावत कहा गया है कि जब एडिसन ने पक्षियों को उडते हुए देखा और गौर किया कि इन्हें उड़ान भरने की ताकत कहां से मिलती है। अगले ही क्षण उन्होने देखा कि पक्षियां कीट–पतंग खा रहे हैं। यह देखकर उन्हें लगा कि पक्षियों को उड़ान भरने की ताकत कीट–पतंग खाने से मिलती हैं। इसलिए उन्होनें भी कुछ कीट–पतंगों को पीसकर खा लिया। फलस्वरूप वे शीघ्र ही बीमार पड़ गये। अब उन्हें यह पता चल गया कि यह प्रयोग निर्रथक हैं। कहने का भाव यह है कि वैज्ञानिकों को एक सफल प्रयोग करने के लिए असंख्य व अजीबोगरीब प्रयास करने पड़ते हैं।

आइए अब हम विज्ञान की महत्ता पर चर्चा करते हैं। विज्ञान आज के मानव–जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। कलम से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ विज्ञान की ही देन है। आज हम सौ फीसदी विज्ञान पर ही आश्रित है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान के नए–नए आविष्कार मानव जीवन को सहज बना दिया है। मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान हैं तो वह विज्ञान का है। विज्ञान ने कदम–कदम पर मानव को हस्तक्षेप किया है और मनुष्य को इतनी सुविधाएँ प्रदान की हैं कि मनुष्य विज्ञान के अधीन होकर रह गया है। विज्ञान ने धरती आकाश और जल क्षेत्र तीनों को प्रभावित किया है। धरती का तो शायद ही कोई कोई कोना हो जहाँ विज्ञान ने कदम न रखा हो। विज्ञान के कारण मनुष्य ने उन्नति की है। मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय विज्ञान को है। आज जिधर भी नजर डालें, विज्ञान का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है।

आज विज्ञान ने पुरूष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, चिकित्सक और सैनिक,

''आराम सत्य की कोई परीक्षा नहीं है। सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है।''
– स्वामी विवेकानंद

अभियन्ता और शिक्षक सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में योगदान दिया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणिजगत का शिरोमणि बन सका है।

विज्ञान की कृपा से मानव सभी प्रकार की सुविधाओं और सम्पदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतु–ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को सम्पन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समुचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन–धान्य से सम्पन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है, हर घटना के पीछे का कारण विज्ञान है, फिर चाहे वह चक्रवात हो, तूफान या वर्षा होना हो या फिर पानी का उबलना और जमना आदि। विज्ञान केवल उपकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी से ब्रह्मांड तक विज्ञान को देखा जा सकता है। आसान शब्दों में विज्ञान के अभाव में व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी सीमा तथा क्षेत्र दिनो–दिन बढ़ता जा रहा है। आज विज्ञान हमारी प्रगति और विकास का आधार बन चुका है। विज्ञान के बिना हम जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते है। आज पूरा विश्व हमारी पहुंच के अंदर है बस सोचने की देर है। पृथ्वी को नाप कर, समुद्र को लांघ कर इंसान ने आकाश की ऊंचाइयों को हासिल किया है। कुछ दशकों में विज्ञान में इतने परिवर्तन हुए जो पिछले 2000 सालों में संभव नहीं हो पाए। आज विज्ञान ने हमें उन उपलब्धियों पर पहुंचा दिया है जिनके बारे मे कल्पना करना भी एक समय असंभव सा लगता था। एक समय था जिन चीजों को हम कल्पना मात्र समझते थे आज वह आम सी हो गई है। यह सभी चीजें विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाई है।

मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए अथक प्रयासों की वजह से और विज्ञान के चमत्कार से ही ऐसा संभव हो पाया है। मानव ने हर क्षेत्र में अपना विकास किया, पृथ्वी से लेकर ब्रह्माण्ड तक मानव ने विज्ञान के चमत्कार के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोगों को सफल बनाया है, जो मानव जाति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थे। उन्होंने शिक्षा, यातायात, संचार, चिकित्सा, आदि सभी क्षेत्रों में चमत्कार किए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न तरह के टेलीप्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसे आधुनिक मशीन की खोज विज्ञान ने की है। इन सभी उपकरणों की वजह से शिक्षा जगत को बहुत लाभ पहुँचा है।

विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य जान चुका है और अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि, विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच– विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को सुनियोजित करे।

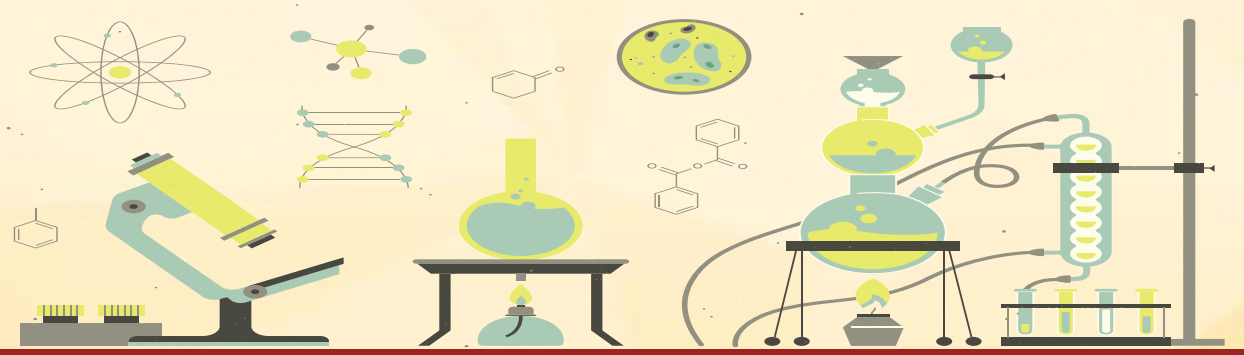

हिंदी का पौधा दक्षिणवालों ने त्याग से सींचा है।
– शंकरराव कप्पीकेरी

सोच...

श्रीमती आरती पाठक
पत्नी श्री बालमुकुन्द पाठक
लेखापरीक्षक

एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है ।

इन्ही बातों को सोच–सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डाँट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था।

एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला – पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, उसने बेटे को डाँट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा रोते–रोते सो गया है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी देखी और जैसे ही कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी ।

होमवर्क का टाइटल था... "वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगतीं, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं।"

इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढना शुरू किया, बच्चे ने लिखा था...

मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ. क्योंकि शुरू में तो ये बिलकुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं।

मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं ।

मैं सुबह–सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ ।

मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि उनकी डाँट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी–अच्छी चीजें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं।

बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गयी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं – विशेष रूप से अंतिम पंक्ति। उसकी नींद उड़ गयी थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया – "मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं – इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ, जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है – इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी – बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ. जिनके पास परिवार नहीं हैं और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं।''

मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता–जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख–दुःख में साथ देने वाले लोग हैं।

हे ! मेरे भगवान् ! आपका बहुत–बहुत शुक्रिया ! मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया ।

इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गयी। उसकी सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएँ अचानक जैसे खत्म हो गयीं। वह एकदम बदल सा गया। वह अपने बेटे से लिपट गया। आँखों से आँसू बह रहे थे और मन ही मन अपने छोटे से बेटे से माफी मांग रहा था, बेटे के माथे को चूमकर वह अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा।

हमारे सामने जो भी परेशानियाँ हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी चिंताएँ, सारी परेशानियाँ सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएँगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए–नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे।

जनजातियों के समग्र विकास की संकल्पना

श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

भारत में जनजातीय समाज प्रकृति, स्वदेशी आजीविका, लोक संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। जनजाति शब्द मूल रूप से एक लैटिन शब्द ट्राईबस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है– गरीब या विपन्न। भारत में आमतौर पर आदिवासी जनजातियों को देश का मूल निवासी माना जाता है। हम सभी बिरसा मुण्डा की जन्मतिथि पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'भारत की आदिवासी जनजातियां देश की सबसे पुरानी निवासी है।'

देश में अधिसूचित जनजातियों की संख्या 705 है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.9 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। इन जनजातियों में से कुछ जनजातियां जैसे अण्डमान निकोबार में रहने वाली जनजाति, सभी प्रकार के नए संपर्क को लेकर आशंकित रहती है जबकि देश की अधिकांश जनजातियां आधुनिक संसार के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करती है।

विकास के विभिन्न मानकों पर अगर बात की जाए तो देश के अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति धीमी रही है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

जनजातियों के हित के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लिखित कुछ प्रावधान निम्नलिखित है।

अनुच्छेद 14 : कानून की नजर में समानता या सबको समान कानूनी संरक्षण।

अनुच्छेद 15 : सरकारें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगी।

अनुच्छेद 15 (4) : सरकारें अनुसूचित जनजातियों समेत सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबकों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकती है।

अनुच्छेद 16 (4) : सरकारें नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद 38 : सरकारें सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित और संरक्षित कर जनसामान्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।

अनुच्छेद 46 : सरकारें अनुसूचित जनजातियों समेत सभी कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी।

अनुच्छेद 164 (1) : बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िशा जैसे अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी वाले राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा।

अनुच्छेद 275 (1): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत के समेकित कोष से प्रत्येक वर्ष अनुदान जारी किए जाएंगे।

अनुच्छेद 330

332 और 335 : लोकसभा, विधानसभा और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण

अनुच्छेद 340 : सरकार सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबकों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी।

अनुच्छेद 342 : सरकार जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के तौर पर चिन्हित करेगी।

पांचवी अनुसूची : अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के लिए निर्देश। ये परिषदें जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मसलों की निगरानी करेंगी और उपयुक्त सलाह

देगी। [अनुच्छेद 244(1)]

छठी अनुसूची : असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ खास इलाकों को स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर तथा जिला परिषदों के गठन के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन [अनुच्छेद 244(2)]

संविधान संशोधन– 73वां और 74वां संशोधन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996 (पेसा) – अनुसूचित जनजातियों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। इन समुदायों को अपनी ही पहलकदमियों के जरिए खुद के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया गया। पेसा संवहनीय स्वायत्त जनजातीय शासन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और नीतिगत ढ़ांचा प्रदान करता है।

किसी भी जनजाति या समुदाय के विकासात्मक स्थिति दर्शाने व सुधारात्मक प्रयास हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

1. शिक्षा

शिक्षा विकास का प्रमुख मानदंड है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता की कमी, अनौपचारिक शिक्षा के परित्याग और नामांकन के कम अनुपात जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। विद्यालयों में उनकी शिक्षा निःशुल्क किए जाने के साथ ही उन्हें पुस्तकें और पोशाक मुफ्त दी जा रही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए खासतौर से आवासीय विद्यालय खोले गए है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण तीसरी योजना के दौरान ही शुरू कर दिया गया था। जनजातीय उप–योजना के क्षेत्रों में 1990–91 से आदिवासी विद्यालयों की स्थापना शुरू की गई। सरकार ने आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत कोष के एक हिस्से का उपयोग करने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक एस.टी छात्र, जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रू. तक है, पूरे भारत में कक्षा 9 से पोस्ट डॉक्टरेट तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार है। इस प्रकार सरकार की ओर से जनजातीय शैक्षिक विकास हेतु सफल प्रयास किए गए है।

2. स्वास्थ्य

आदिवासियों को स्वास्थ्य रहने के लिए पर्याप्त या उपयुक्त भोजन नहीं मिलता है। फलस्वरूप वे भूखमरी, स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कद का कम होना), एनीमिया तथा विटामिन एवं खनिजों की कमी से पीड़ित है। निम्नलिखित उपायों के आधार पर जनजातीय समुदाय का स्वास्थ्य समस्या को दूर किया जा सकता है।

(क) ग्राम सभा के समर्थन व सहयोग से आदिवासी समुदायों में प्राथमिक देखभाल हेतु आरोग्य मित्र, प्रशिक्षित स्थानीय आदिवासी युवाओं और आशा कार्यकर्ताओं से सहायता लिया जा सकता है।

(ख) जनजातीय स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करना ताकि किसी भी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में लाभ प्राप्त करना आसान हो सके।

(ग) स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सके।

भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय का स्वास्थ्य चिंतन को बहुत हद तक दूर किया गया है, तथापि अभी भी उन्हें स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने की आवश्यकता है एवं सरकार के सभी स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास शेष है।

3. रोजगार

विकास के विभिन्न मानकों में रोजगार का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति की आर्थिक समस्या दूर नहीं होगी तब तक विकास के अन्य पहलुओं का भी औचित्य नहीं रह पाता है। आदिवासियों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जा सकता है।

(क) आदिवासियों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि दिया जाए तथा उन्हें कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।

(ख) जनजातीय समुदाय कृषि के अलावा पशुपालन पर भी निर्भर करते है। अतः उन्हें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ग) जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक करने हेतु क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों व कच्चे माल पर आधारित परम्परागत व्यवसायों को विकसित करने के लिए कुशल, अनुभवी व समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

(घ) सरकार द्वारा निकाले गए भर्ती परीक्षा में जनजातीय समुदायों के लिए सीटों की संख्या अधिक रखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य वन धन समूहों के गठन के माध्यम से अगले पांच वर्षो में आजीविका संचालित आदिवासी विकास हासिल करना है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष की नई योजना के लिए 50 करोड रू. की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार हम पाते है कि आदिवासियों के लिए विभिन्न रोजगार, कौशल विकास, उद्मिता के क्षेत्र में उतरोत्तर प्रगति हुई है। फिर भी इन समुदायों का आर्थिक विकास उतना नहीं हो पाया है जितना कि समाज के अन्य समुदायों का हुआ है।

4. आवास

प्रायः यह पाया जाता है कि आदिवासी अभी भी घास–फूस या लकड़ी/बाँस से बनाए कच्चे घरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के इतने वर्ष के बाद भी यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत कार्यान्वित नहीं हो पाया है। अतः सरकार को इस पर जमीनी स्तर पर कार्य करने की आश्यकता है।

हालांकि प्रधानमंत्री जनजातीय आदर्श ग्राम योजना के तहत 36,428 गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इन गाँवो का व्यापक विकास किया जा रहा है। इन गाँवों में आदिवासियों की आबादी 500 से अधिक और कुल संख्या की 50 प्रतिशत तक है।

5. सामाजिक स्थिति में सुधार

आजादी के इतने वर्षो बाद भी हम सब यह अनुभव कर रहे है कि जनजातीय समुदाय मुख्यधारा में नहीं आया है। विकास की जो गति समाज के अन्य वर्गो/समुदायों ने प्राप्त किया है, उसे जनजातीय समुदाय अभी तक प्राप्त नहीं किया है। समाज के अन्य वर्गो के द्वारा यदा–कदा उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, जो कि निंदनीय है। आदिवासी भाईयों को मुख्यधारा में लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगो को भाईचारा का भावना रखने के साथ–साथ जनजातियों के समग्र विकास हेतु कंधा से कंधा मिलाना होगा। इसके साथ ही उन्हें सरकार के तीनों अंग अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में उन्हें बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी।

6. मानवाधिकार

आए दिन हम समाचार–पत्रों में हम पढ़ते है कि जनजातियों के साथ निम्न दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंसा, अतिक्रमण, यौन शोषण आदि समस्याओं का सामना करना पडता है। जनजातियों की जनसंख्या का कुछ प्रतिशत निरक्षर या वन बहुल क्षेत्रों में एकांत रहने के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि उन्हें मानवाधिकारों से जागरूक करावें एवं उन्हें प्रतिष्ठित जीवन जीने में अहम भूमिका निभाएं।

निष्कर्ष के तौर पर हम यह पाते हैं कि देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में चुनौतियां अब भी मौजुद है। इसका मुख्य कारण इस समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली, दूरदराज के इलाकों में बसावट, बिखरी हुई आबादी और निरंतर विस्थापन है। यद्यपि संवैधानिक स्तर व सरकार के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है, तथापि उन कल्याणकारी योजनों को व्यावहारिक रूप देने के लिए हर भारतीय को दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना होगा। जनजातियों की समृद्धि में ही हर भारतीय की समृद्धि छिपी हुई है। समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान से ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं।

जब राष्ट्र की अपनी भाषा समाप्त हो जाती है, तब वह राष्ट्र ही समाप्त हो जाता है। प्रत्येक जाति अपनी भाषा से पहचानी जाती है। भाषा की उन्नति ही उस जाति की उन्नति है। जो जाति अपनी भाषा को भूला देती है, वह संसार से मिट जाती है। – सीमांत गाँधी

लोग कहते हैं बदलने सा लगा हूँ...

अपने में ही रमने वाला,
अपने लिए दूसरों से लड़ने वाला
खुद में ही सहमा सा रहने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा लगा हूँ।

पूरे घर का राजा बनने वाला
चारों ओर उछल–कूद करने वाला
आज एक कोने में सिमट के रहने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा लगा हूँ।

अपनी ही बात को दूसरों से मनवाने वाला
आज दूसरों की इच्छाओं के लिए जीने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने लगा हूँ।

बाजार के हर खिलौने को अपना कहने वाला
हमेशा आजादी की उड़ान भरने वाला
आज जिम्मेवारियों के बोझ में बंधने सा लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा लगा हूँ।

अपने ख्वाबों के उड़ान में पलने वाला
सबकी अरमानों को पूरा करते–करते
आज अपनी ही पहचान खोने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा लगा हूँ।

अपनी पसंद की हमेशा खाने वाला
न मिले समय पर, तो सबसे लड़ जाने वाला
आज जो भी मिल जाय सब कुछ खाने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा लगा हूँ।

थोड़े से चोट से जोर–जोर से
चिल्लाने वाला
अपने दुख को सबको बहुत
बड़ा बतलाने वाला
आज बड़े से बड़े दुख को
चुपचाप सहने लगा हूँ
लोग कहते मैं बदलने सा
लगा हूँ।

समझो वो माँ है...

श्री देवराज लाल खन्ना
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

जिसके आँचल के नीचे
सभी भय गायब हो जाए
समझो वो माँ है।

जिसके डाँट में भी प्यार
नजर आए
समझो वो माँ है।

जिसके उच्चारण मात्र
से आँख भर आए
समझो वो माँ है।

जिसके घर में न होने से घर बंजर हो जाए
समझो वो माँ है।

जिसके गोद में सोते ही नींद आ जाए
समझो वो माँ है।

जिसके स्पर्श मात्र से शरीर का दर्द खत्म हो जाए
समझो वो माँ है।

जिसकी आवाज सुने बिना मन को चैन न आए
समझो वो माँ है।

जिसके हाथ का खाना छप्पन भोग को भी पीछे कर जाए
समझो वो माँ है।

जिसकी बुरी बात भी आशीर्वाद बन जाए
समझो वो माँ है।

जिसके पाँव के नीचे स्वर्ग नजर आए
समझो वो माँ है।

जो खाना खिलाते समय गिनती भूल जाए
समझो वो माँ है।

जो आपके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर जाए
समझो वो माँ है।

जो स्वयं मरकर आपको जिंदा कर जाए
समझो वो माँ है।

जिसके गुणों के बखान के लिए शब्द कम पड़ जाए
समझो वो माँ है।

जिसके आगे माथा खुद नतमस्तक हो जाए
समझो वो माँ है।

दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें। – दलाई लामा

कहाँ आ गये हम...

शाहिल कुमार यादव
पुत्र – श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

माया के भँवर जाल में,
कहाँ थे हम, कहाँ आ
गये हम।

बचपन के दिनों में
मुस्कुराया जो करते थे
हम,
आज वह मुस्कुराहट कहाँ
गायब कर दिए हम।

अपनों के प्यार में झूम
उठते थे हम,
अब उनके बिना सूनापन में जी रहे हम।

हरियाली को देखकर जो मंद–मंद मुस्काते थे हम,
अब उस हरियाली में भी जी नहीं पा रहे हम।

गुरूजनों के सिखाए पाठ से अनुशासित जो थे हम,
आज उनके बिना अनुशासनविहीन जी रहे हम।

स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बना बैठे हम,
समय की बर्बादी को जीवन का आनंद समझ बैठे हैं हम।

दुर्गम राहों को छोड़कर आसान राहों को चुनें हम,
जिस राह को जाना था, उन राहों को छोड़ गए हम।

क्या अच्छा है, क्या बुरा, सब जानते हैं हम,
फिर भी नादानियाँ बार–बार करते हैं हम।

परिपक्वता का झूठा आईना दुनिया को दिखाते हैं हम,
खुद अपरिपक्व हैं, लोगों से परिपक्वता की आस लगाते
हैं हम।

देश सेवा के लिए जान की बाजी लगाने को सोचे थे
हम,
किसे पता था निजी जीवन में ही उलझे रहेंगे हम।

माया के भँवर जाल में,
कहाँ थे हम, कहाँ आ गये हम।

''दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है....''
– मुंशी प्रेमचंद

पिता और संतान की चिंता...

बैठ खलिहान में बाबा
कर रहे थे कुछ काम।

इतने में आए एक सज्जन
बोले कैसे हो भाई।
और कहाँ है तुम्हारी संतान।

बड़े हो गए हैं बच्चे
क्या सोचा है उनके बारे में।

क्या करना होगा उनके लिए ताकि
भविष्य में न हों वे परेशान।

इतना सुन बोले बाबा
होते दो तरह के संतान।
एक होता कपूत और दूसरा सपूत मान।

गर है कपूत संतान
कुछ भी कर लें उनके लिए
वह उजाड़ेंगे ही अपना मकान
तो उनके बारे में सोच
हम क्यों हों परेशान।

फिर गर हो सपूत संतान
वह खुद ही बना लेंगे
खुद के लिए भरा–पूरा आशियाना।
इसलिए उनके
बारे में सोच
हम क्यों हों
बदनाम।

तो छोड़ दो चिंता
रहो दम–मस्त
और इत्मीनान।
खुद ही बनाएँगे
वे
अपने कार्यानुसार
अपना कलाम।

हम भूलते अपने गाँवों को...

श्री देवराज लाल खन्ना
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

मिट्टीवाली उन
कच्ची राहों को
आमों से भरी डालियों
के उन बाँहों को।
धूप में पेड़ की छाँवों
के उन पनाहों को
हम भूलते अपने गाँवों
को।

घर के बाहर बँधे उन
रंग–बिरंगे गायों को।
आँगन के मध्य में तुलसी के बहारों को
फसलों से भरे उन खेत–खलिहानों को
हम भूलते अपने गाँवों को।

सुबह की पहली किरण आने से पहले मुर्गे की उन बाँगों को।
काँधे में गमछा और माथे में पगड़ी बाँधे किसानों को।
सवारी के लिए प्रयोग होते उन बैलगाड़ियों को।
हम भूलते अपने गाँवों को।

दूर कुओं से मटकों में पानी लाते उन महिलाओं को।
आम के टिकारों को पत्थर मारते
उन छोटे–छोटे बालाओं को।
शाम में अखाड़े में उन बुजुर्गों की सभाओं को।
हम भूलते अपने गाँवों को।

बच्चों के साथ खेलते
उन बूढ़े दादियों और दादाओं को।
दूसरों की तकलीफ को भी अपना तकलीफ समझते
उन रहमत मालियों को।
बसंत में झूले लगे हुए उन पेड़ों की डालियों को।
हम भूलते अपने गाँवों को।

हम भूलते अपने गाँवों को।

''फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर, तुम फूल की सुंदरता नहीं बटोरते'' – रवीन्द्रनाथ टैगोर

ताउम्र बच्चे

धीरे–धीरे चलते हैं,
आसमान से मचलते हैं,
गिरते हैं संभलते हैं,
रोते–रोते हँसते हैं,

कभी बिगड़ते तो कभी मनते हैं,
समझाओ तो अकड़ते हैं,
अकड़ो तो समझते हैं,
बातों के कच्चे हैं,
मन के पूरे सच्चे हैं,
थोड़ा समझो, थोड़ा समझाओ,
ये तो ताउम्र के बच्चे हैं।

अनोखा बालक

श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

धरा पर आया, एक बालक अनोखा,
जो है बस प्यार का भूखा,
अपने और गैरों में नहीं कोई भेद मानता,
इस दुनिया की नहीं कोई रीत जानता,
तन में है अनवरत उत्साह, आँखों में चंचलता,
पर वाणी से है लाचार,
ना समझे जग की व्यावहारिकता,
मन से है निश्छल वो भाव, भंगिमा से भरपूर,
कितने ही वंसत बीत गए पर,
अभी भी है मासूमियत प्रचुर।

''आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।''
– अटल बिहारी वाजपेयी

ढलता जीवन...

श्रीमती सुनैना कुमारी
पत्नी श्री राजेश कुमार
नं. – 2
सहायक लेखापरीक्षा
अधिकारी

बाग में बैठी बूढ़ी आँखें,
ढूँढ़ रही हैं बचपन अपना।
हाथ में ले कर टूटी लाठी,
बुनना चाहे कोई सपना।।

गुजरे जीवन के सब लम्हे,
मुस्कुराते दिल, यादों का कारवाँ।
झुर्रियों की है चादर ओढ़े
धुँधली नजर, आँखों पर चश्मा।।

दूर में खेले नई कोपलें,
मासूम हँसी, फूलों का झरना।
घण्टों बैठे देखे उनको,
जैसे ढूँढे कोई अपना।।

अभिव्यक्ति

श्रीमती मधु कुमारी पाण्डेय
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

मुझे लिखनी थी कविता,
अभिव्यक्ति की आजादी पर
मुझे लड़ना था औरतों के
हक के लिए,
मुझे समझाना था इस कठोर
दुनिया को
औरतों की बेबसी के बारे में,
पर जब ये सब कुछ सोच
रही थी
ठीक उसी वक्त मुझे सिखाया
जा रहा था कि
बेटियाँ घर में ही रहें तो ठीक है
मुझे सिखाया गया सलीके से दुपट्टा लेना,
ठहाके लगा के नहीं हँसना,
मुझसे कहा जा रहा था कि ऐसे विद्रोही बनोगी तो
ससुराल में लोग क्या कहेंगे,
और फिर मैं आहिस्ता–आहिस्ता सीखने लगी,
रोटियों को गोल बनाना,
अपने भीतर की आवाज को दबा देना,
और फिर मेरी अभिव्यक्ति की आजादी इस बात से थी
कि मैं चुप होकर ये स्वीकार कर लूँ
कि औरत सबकुछ कर सकती है पर बोल नहीं सकती।

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्त तिथि
1.	दीपेन्द्र नाथ	सहायक पर्यवेक्षक	31/07/2022
2.	मो. मुख्तार	एम.टी.एस.	31/08/2022
3.	बिश्वजीत चक्रवर्ती	पर्यवेक्षक	30/09/2022
4.	उत्पल बंदोपध्याय	सहायक पर्यवेक्षक	30/09/2022
5.	निरंजन दूबे	सहायक पर्यवेक्षक	31/10/2022
6.	जाहीद हुसैन	स्टाफ कार ड्राइवर	30/11/2022
7.	सैमुएल सोरेन	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	31/01/2023
8.	शिलानाथ प्रसाद सिंह	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	31/01/2023
9.	बिनोद प्रसाद	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/01/2023
10.	राजीव रंजन, नं.1	सहायक पर्यवेक्षक	31/01/2023
11.	जूनास तिर्की	सहायक पर्यवेक्षक	31/01/2023
12.	पंकज पाण्डेय	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	28/02/2023
13.	बिंदेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/03/2023
14.	हिमांशु कुमार	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/03/2023
15.	शम्भु शरण भारती	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/03/2023

01 अप्रैल, 2023 से 31 अगस्त 2023 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्त तिथि
1.	इमैनुअल टोप्पो	सहायक पर्यवेक्षक	31/05/2023
2.	सुबोध कुमार मल्लिक	वरिष्ठ लेखापरीक्षा	31/05/2023
3.	मुलियन डांग	सहायक पर्यवेक्षक	31/07/2023
4.	विकास चंद्र आजाद	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/08/2023
5.	सुरेश पाण्डेय	लेखापरीक्षक	31/08/2023

वर्ष 2022-23 की अवधि में सेवा के दौरान दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	दिवंगत तिथि
1.	स्वर्गीय सी.बी.नवीन	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	15/10/2022
2.	स्वर्गीय अरविंद जॉय सांगा	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	06/09/2022

राजभाषा के प्रति निष्ठा व ईमानदारी बनाए रखें।

– श्री उत्तम मेहरा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता स्वयं को जान लेना है।

– श्री आलोक कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

अपने मातृभाषा एवं राजभाषा का सम्मान करें।

– श्री संजीव कुमार यादव
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

टिप्पणियाँ हिंदी में लिखिए। मसौदे हिंदी में तैयार कीजिये। शब्दों के लिए अटकिये नहीं। अशुद्धियों से घबराइए नहीं। अभ्यास अविलम्ब आरम्भ कीजिये।

श्रीमती मधु कुमारी पाण्डेय
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री सुबोध कुमार
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री सुशांतो गांगुली
एमटीएस

यदि मार्ग काँटों भरा हो, और आप नंगे पांव हो तो रास्ता बदल लेना चाहिए। – चाणक्य

हिन्दी पखवाड़ा 2023 के समापन समारोह की मुख्य झलकियाँ

हिन्दी पखवाड़ा 2023 के समापन समारोह की मुख्य झलकियाँ

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

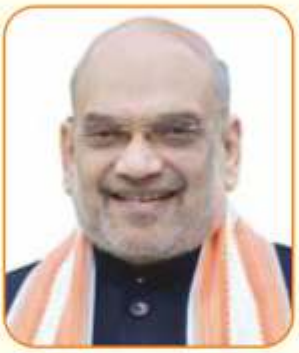

प्रिय देशवासियो!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ–साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों, हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थी।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, **"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।"** यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि विद्यापति की शब्दावली में कहूँ तो **'देसिल बयना सब जन मिट्ठा'** यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन–जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **'कंठस्थ'** का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में **'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन'** के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल **'हिंदी शब्द सिंधु'** शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने **'लीला हिंदी प्रवाह'** मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा–भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी–अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई–मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023

(अमित शाह)